मूलनिवासी टाईम्स

फुले-अम्बेडकरी आंदोलन के उद्देश्य, विचारधारा, सिद्धांत तथा मूल्यों के प्रति समर्पित राष्ट्रीय हिन्दी पाक्षिक

संपादक : मनोज कुमार, वर्ष : 20, अंक : 2, दिनांक : 16 से 31 जनवरी, 2023, पृष्ठ : 12, वार्षिक सदस्यता : 240/- मूल्य : 10 रुपये

डिग्री सर्विस में जाने की एक योग्यता है, प्रज्ञा यानि वास्तविक ज्ञान विश्वविद्यालयों में नहीं बल्कि समाज में ही मिलता है

- मू. डॉ. आर. एस. कुरील, कुलपति महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय, दुर्ग

बामसेफ का 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन ऐतिहासिक रूप से उत्साहपूर्वक संपन्न

- मूलनिवासी कैलेण्डर के साथ-साथ पांच पुस्तकों का विमोचन।
- मूलनिवासी व्यावसायिक महासंघ की घोषणा
- अधिवेशन के अन्तिम दिन जीबी एवं एक दिन बाद एचओआर की बैठकें संपन्न।

मुनिटा संवाददाता, नागपुर : बामसेफ का 39वां चार दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन रिंगनाबोडी, नागपूर में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले सामाजिक क्रांति संस्थान में आयोजित किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने समाज की उन्नति के लिए शिक्षा की उपयोगिता पर बल दिया। वक्ताओं ने पाखंड और अन्धविश्वास के बजाय हमें अनुसूचित जाति/जनजाति और बैकवर्ड की एकता पर बल दिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. आर. एस. कुरील ने कहा कि जब तक समाज में चेतना नहीं आएगी तब तक सामाजिक परिवर्तन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने बहुजन आंदोलनों की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा की जब ज्योतिबा फूले, पेरियार रामासामी, बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर ने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई शुरू की थी तब सब कुछ उनके अनुकूल नहीं था। लेकिन जब उन्होंने शुरुआत की तो परिस्थितियां बदलती चली गयी।

विशिष्ट अतिथि के रूप में आपने विचार व्यक्त करते हुए

सोशल रेवोलुशन अलाइंस के संस्थापक ट्रस्टी जस्टिस वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि पिछले तीन हजार वर्ष से मूलनिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। उन पर अत्याचार आज भी जारी हैं। इनके कारण और निवारण का समय आ गया है। मात्र 15 फीसदी लोग आज भी 85 फीसदी पर राज कर रहे हैं। इससे मूलनिवासी त्रस्त हैं। आज भी हम अपने अधिकारों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सके। उन्होंने जातिगत जनगणना को देश में आज का ज्वलंत मुद्दा बताया।

विशेष अतिथि के रूप में मलयाली साहित्यिक पट्टभेदम पत्रिका की संपादक एवं कवि डॉक्टर मृदुला देवी ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा कि जब तक महिलाओं को समान दर्जा नहीं दिया जायेगा तब तक कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पाखंड और अंधविश्वास ही मूलनिवासियों की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट हैं। इन्हें दिलो दिमाग से दूर करना होगी।

बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गनोरकर ने देश की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पूरे देश को दो उद्योगपति चला रहे हैं। ऐसे देश का भविष्य चिंताजनक है। सत्ता का केन्द्रीकरण हो रहा है। उन्होंने न्यायपालिका और विधायिका के गतिरोध पर टीप्पणी करते हुए कहा कि दोनों ही संस्थाएं स्वतंत्र हैं। तो निर्णय लेने के बजाय एक दूसरे पर थोप रहे हैं।

अधिवेशन की प्रस्तावना महासचिव ...(शेष पेज 10 पर)

हम माता सावित्री फूले और फातिमा शेख जैसी क्रांतिकारी महिलाओं से प्रेरणा लेकर भारत की व्यवस्था में एक बार फिर क्रांति का आगाज करेंगे

- मू. इंजी. सोनाली कान्हेकर

मूलनिवासी संघ की राष्ट्रीय संगठन सचिव इंजीनियर सोनाली कान्हेकर ने किया मध्य प्रदेश का दौरा

मुनिटा संवाददता, बालाघाटः मूलनिवासी संघ की राष्ट्रीय संगठन सचिव इंजीनियर सोनाली कान्हेकर ने मध्य प्रदेश का दौरे के अंतर्गत बालाघाट जिले के विभिन्न स्थानों पर युवा, विद्यार्थी, महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ दिनांक 8 जनवरी 2023 को सीधे संपर्क और संवाद भी किया। सावित्रीबाई फूले महिला संघ के द्वारा स्थान अर्पित सेवा संस्था भवन, बालाघाट में सावित्रीबाई फूले जयंती समारोह में उन्हें विशिष्ट वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि मू. हेमलता, वंदना वैद्य, डॉ. ज्योति बोरकर, अरुणा तिरपुडे, माहेश्वरी, एडवोकेट पद्मा सूर्यवंशी व मुख्य अतिथि वैशाली खोबरागड़े, विस्तार अधिकारी जिला परिषद गोंदिया उपस्थित रहीं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सावित्रीबाई फूले महिला संघ की अध्यक्ष मा. ललिता रामटेके ने की। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने सहभाग किया।

मू. इंजी. सोनाली कान्हेकर

कार्यक्रम की चर्चा के अंतर्गत महिला व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के मानवीय अधिकारों में ब्राह्मणी धर्म पर आधारित पुरुषवादी मानसिकता को एक रोड़ा बताते हुए उसके समाधान पर चर्चा की और बताया कि यदि ब्राह्मणी धर्म पर आधारित पुरुषवादी मानसिकता उनके मानवाधिकारों में रोड़ा ना बने तो एक स्वतंत्र विश्व और खुशहाल समाज अस्तित्व में आएगा। महिलाओं ने महिलाओं के अधिकारों और उन पर दिन-प्रतिदिन हो रहे शोषण, अत्याचार और अपराधों और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की। इसी क्रम में बामसेफ की वरिष्ठ कार्यकर्ता मू. अरुणा तिरपुड़े जिन्होंने उपस्थित महिला व समस्त सामाजिक कार्यकर्ताओं को फूले-अंबेडकरी आंदोलन में जुड़कर अपने देश और समाज पर पड़ी ब्राह्मणवादी बेड़ियों को तोड़ने का...(शेष पेज 9 पर)

मर जाऊं मांगू नहीं अपने तक के काज, परमारथ के कारने मोहि न आवत लाज। - संत कबीर

देश के विभिन्न भागों में मूलनिवासी संघ द्वारा राष्ट्रमाता फूले एवं राष्ट्रप्रेरणा फातिमा शेख की जयंती का आयोजन

देश के विभिन्न भागों में मूलनिवासी संघ द्वारा राष्ट्रमाता फूले एवं राष्ट्रप्रेरणा फातिमा शेख की जयंती का आयोजन

भागलपुर, बिहार : 8 जनवरी 2023 को वार्ड नंबर 31 सच्चिदानंद नगर स्थित सामुदायिक भवन, भागलपुर में मूलनिवासी संघ भागलपुर जिला तथा बामसेफ के संयुक्त कार्यक्रम के बैनर तले राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस मनाया गया। इसके साथ ही वार्ड नंबर 31 के निर्वाचित पार्षद माननीया कुसमा देवी के सम्मानित करने एवं पूर्व जिलाध्यक्ष मूलनिवासी संघ एवं बामसेफ अध्यक्ष मा. स्मृतिशेष सहेन्द्र प्रसाद साहू के प्रति आदरांजलि कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध साहित्यकार मान्यवर रामकिशोर मंडल ने की। कार्यक्रम की शुरुआत माता सावित्रीबाई फूले एवं बाबा साहेब डॉ भीम राव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया।

उसके बाद बामसेफ मूलनिवासी संघ के पूर्व अध्यक्ष सहेंद्र प्रसाद साहू जी की तस्वीर पर उपस्थित सभी मंचासीन तथा उपस्थित सभी बहुजन समाज के विद्वान एवं ग्रामीणों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा 2 मिनट का मौन धारण कर उनके प्रति आदरांजलि अर्पित की गई। कई वक्ताओं ने मू. महेन्द्र साहू जी के सामाजिक योगदानों एवं स्मृतियों को सभा के समक्ष रखा। (शेष पेज 9 पर...)

छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश

फरल, कैथल, हरियाणा

पप्पू कालोनी, दिल्ली एनसीआर

पाकरडीह, झारखंड

भागलपुर, बिहार

लखीमपुर खीरी, उ.प्र. मध्य

हजारीबाग, झारखंड

कच्छ, गुजरात

नगीना एवं चांदपुर बिजनौर, पश्चिम उ.प्र.

जीतगढ़, कैथल

उधमसिंह नगर, उत्तराखंड

कटिहार, बिहार

बोकारो, झारखंड

उच्च न्यायपालिका नहीं सवर्ण न्यायपालिका?

कानून मंत्रालय–भारत सरकार द्वारा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष जनवरी 2018 से दिसंबर 2022 तक, पाँच वर्षो के दौरान भारत के विभिन्न हाईकोर्ट में नियुक्त न्यायाधीशों में 79 प्रतिशत न्यायाधीश तथाकथित ऊंची जातियों के सवर्ण लोग हैं।

जबकि इसी 5 वर्षों के दौरान नियुक्त होने वाले **ओबीसी न्यायाधीश से मात्र 11 प्रतिशत हैं।**

इसी दौरान नियुक्त होने वाले **अनुसूचित जाति से न्यायाधीश से मात्र से 2.8 प्रतिशत हैं।**

इसी दौरान नियुक्त होने वाले **अनुसूचित जनजाति से न्यायाधीश से मात्र 1.3 प्रतिशत हैं।**

इसी दौरान नियुक्त होने वाले **अल्पसंख्यक समुदाय से न्यायाधीश मात्र 2.6 प्रतिशत हैं।**

इस दौरान कुल 537 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई जिसमें से 20 न्यायाधीशों की सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। इस प्रकार यह रिपोर्ट 517 न्यायाधीशों की सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित है।

रिपोर्ट से स्पष्ट है कि ओबीसी, एससी, एसटी (अर्थात मूलनिवासी बहुजन समाज) जिसकी आबादी 85 प्रतिशत से लेकर 90 फीसदी तक है, इनसे न्यायाधीशों की संख्या मात्र 15 प्रतिशत है जबकि तथाकथित सवर्ण जातियां जिनकी आबादी मात्र 10 से 15 परसेंट तक है जिनका प्रतिनिधित्व 79 प्रतिशत है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उच्च न्यायपालिका में देश की आजादी के 75 वर्षों बाद भी सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ और उच्च न्यायपालिका अभी भी पूरी तरह से सवर्ण न्यायपालिका के रूप में बनी हुई है। भारत में विद्यमान सामाजिक विविधता उच्च न्यायपालिका में बिलकुल नदारद है।

क्या इसके लिए केवल कॉलेजियम के न्यायधीश दोषी हैं या इसके लिए भारत सरकार भी दोषी है?

ध्यान रहे कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम संस्तुति करता है और भारत के राष्ट्रपति महोदय कानून मंत्रालय के माध्यम से ही न्यायाधीशों की नियुक्त करते हैं। इसलिए कानून मंत्रालय न्यायधीशों की नियुक्ति की फाइल अपनी सुविधानुसार लटकाता और अटकाता भी है। इसलिए नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीशों में न केवल कोलेजियम में कार्यरत न्यायाधीशों के पसंद के लोग नियुक्त होते हैं बल्कि सत्ताधारी दल के पसंद के लोग भी न्यायाधीश बनते हैं। इन पाँच वर्षो मे नियुक्त न्यायधीशों की पृष्ठिभूमि से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उसमे सत्ताधारी दल की पसंद के कितने न्यायधीश हैं। इसका आशय यह है ओबीसी, एससी, एसटी को उच्च न्यायपालिका में भागीदारी नहीं देने के लिए न केवल कोलेजियम सिस्टम जिम्मेदार है बल्कि वर्तमान केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है।

कैसे आया और क्यों आया कोलेजियम सिस्टम?

90 के दशक में जब कार्यपालिका और विधायिका में डायवर्सिटी बढ़ रही थी तब न्यायपालिका में डाइवर्सिटी के विकास को रोकने के लिए कुछ न्यायाधीशों ने कॉलेजियम सिस्टम विकसित किया जिसका भारत के संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। जबसे इंडिपेंडेंस आफ ज्यूडिशरी (स्वतंत्र न्यायपालिका) के नाम पर कॉलेजियम सिस्टम आया है तब से न्यायाधीशों की नियुक्ति में ना तो इंडिपेंडेंस आफ ज्यूडिशरी दिखी है और ना ही पारदर्शिता दिखी है। सबसे बड़ी बात की न्यायपालिका में देश की बहुसंख्यक आबादी की भागीदारी को कॉलेजियम सिस्टम द्वारा दरकिनार किया गया है। इंडिपेंडेंस आफ ज्यूडिशरी के नाम पर उच्च न्यायपालिका में कुछ 300 परिवारों का कब्जा बना हुआ है जो भारत में लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम पर जातिवाद करने, पारदर्शिता ना अपनाने, भाई–भतीजावाद फैलाने, परिवारवाद करने का भी आरोप लगता रहता है।

संविधान की मूलभावना के विपरीत है कॉलेजियम सिस्टम

संविधान सभा ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यायाधीशों से परामर्श (Consultation) करने की बात लिखी है लेकिन सहमति (Concurrence) शब्द अर्थात न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायाधीशों की सलाह मानने की बाध्यता (Primacy of Judiciary) को खारिज कर दिया था। कॉलेजियम सिस्टम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डाइवर्सिटी को रोकता है।

ऐसा लगता है कि संविधान लागू होने के बाद कार्यपालिका और विधायिका तो कुछ हद तक लोकतांत्रिक बन गई परंतु न्यायपालिका अभी भी पूरी तरह से सामंतवादी तरीके से चल रही है। इसलिए न्यायपालिका में संविधान के अनुरूप सुधार की जरूरत है। यह बात बिल्कुल सही है कि कॉलेजियम सिस्टम का संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। इसलिए निष्पक्ष आयोग बनाकर इंडियन ज्यूडिशल सर्विसेज के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए और नियुक्ति में संविधान का अनुच्छेद 16(4) लागू होना चाहिए जिससे कि सभी वर्गों को समुचित भागीदारी मिल सके।■

अब्दुल कय्यूम अंसारी स्मृति दिवस 18 जनवरी के अवसर पर मूलनिवासी टाईम्स परिवार की ओर से विनम्र अभिवादन!

कर्पूरी ठाकुर जयंती दिवस 24 जनवरी के अवसर पर मूलनिवासी टाईम्स परिवार की ओर से हार्दिक बधाई!

म. जोगेन्द्रनाथ मंडल जयंती दिवस 29 जनवरी के अवसर पर मूलनिवासी टाईम्स परिवार की ओर से हार्दिक बधाई!

पखवाड़े के दिन विशेष

18 जनवरी 1883	: राष्ट्रपिता जोतिबा फूले द्वारा 'किसान का कोड़ा' ग्रन्थ का प्रकाशन।
18 जनवरी 1973	: अब्दुल कयूम अंसारी स्मृति दिवस।
20 जनवरी 1993	: महासय दयाचंद मायना परिनिर्वाण दिवस।
24 जनवरी 1917	: छ. शाहूजी महाराज द्वारा प्राथमिक शिक्षा मुफ्त एवं अनिवार्य करने का आदेश।
24 जनवरी 1924	: कर्पूरी ठाकुर जयंती दिवस।
26 जनवरी	: भारत गणतंत्र (गणराज्य) दिवस।
27 जनवरी 1919	: डॉ. अम्बेडकर का साउथबारो कमीशन के सामने साक्षात्कार।
29 जनवरी 1919	: महाप्राण जोगेन्द्रनाथ मंडल जयंती दिवस।
31 जनवरी 1920	: डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा आंदोलन के मुखपत्र 'मूकनायक' का प्रारम्भ।

विशेष सूचना

जिन सदस्यों की मूलनिवासी टाईम्स हिन्दी पाक्षिक की सदस्यता समाप्त हो गई है वह अपनी सदस्यता का नवीनीकरण तुरन्त करवा लें अन्यथा अगले अंक से उनका पेपर बंद कर दिया जायेगा।

बैंक विवरण : खाता संख्या- 2848101014322, IFSC-CNRB0002848, शाखा- केनरा बैंक, हंसराज कालेज, दिल्ली।

– प्रबन्धक, मूलनिवासी टाईम्स, नई दिल्ली

EWS आरक्षण आर्यपुत्रों के प्राचीन गौरव का आगाज

- दयाराम
(राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पीपीआई डी)

EWS आरक्षण का मतलब economic weaker section. आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्रतिनिधित्व।

EWS आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है। क्योंकि भारत में जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है वही आर्थिक रूप से पिछड़ा है। आर्य-ब्राह्मणी सामाजिक व्यवस्था में जो जितना ही आद्रित है वही आर्थिक रूप से संपन्न है जो इस व्यवस्था में जितना ही निराद्रित है वह उतना ही दरिद्र और विपन्न है। आर्थिक रूप से कमजोर भारत के मूलनिवासी वर्ण व्यवस्था के शूद्र एससी, एसटी, ओबीसी हैं और कोई दूसरा नहीं है। फिर ईडब्ल्यूएस आरक्षण सवर्णों के लिए कैसे हो सकता है जो अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में समृद्ध हैं? ईडब्ल्यूएस आरक्षण शास्त्र सम्मत है और धर्म शास्त्रीय धारणाओं से ओतप्रोत है इसकी सही जांच पड़ताल अतीत के आकलन से ही संभव है।

भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए शासन-प्रशासन में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है और जिसकी वजह से एससी, एसटी, ओबीसी के लोग अपनी दक्षता के बल पर अवसर की समानता के आधार पर शासन-प्रशासन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में पहुंचे जिसकी जलन आर्य-ब्राह्मणों की पूर्व निर्धारित सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान है और जो शास्त्र सम्मत है। इस बात का प्रमाण ब्राह्मण संत तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के उत्तरकांड में उनके द्वारा उल्लेखित एक कथा प्रसंग में है जो आज के लिए प्रासंगिक है। ब्राह्मण संत तुलसीदास लिखते हैं-

शूद्र करैं जप तप व्रत नाना।
बैठि बारासन कहहि पुराना।
सब नर कल्पित करहिं अचारा।
बरनि न जाए अनीति अपारा।

अर्थ- शूद्र जप, तप, व्रत करने लगे हैं। वे ऊंचे आसन पर बैठकर पुराण पढ़ने लगे हैं। सभी के सभी काल्पनिक आचरण कर रहे हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण संत तुलसीदास आगे लिखते हैं-

वादहिं शूद्र द्विजन्ह संग।
हम तुमसे कछु घाटि।
जानहिं ब्रह्मा सो विप्रवर ।
आंख दिखावहिं डांटि।

अर्थ- शूद्र ब्राह्मणों से वाद-विवाद करने लगे हैं और कहते हैं क्या हम तुमसे कुछ कम हैं जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है ऐसा कह कर ब्राह्मणों को आंखें दिखाते हैं।

ब्राह्मण संत तुलसीदास आगे जातियों का नाम लेकर अपने अंतर्मन की बात करते हुए कहते हैं कि जिन जातियों को आर्य-ब्राह्मण व्यवस्था द्वारा निर्धारित काम करना चाहिए था वह ब्राह्मणोंचित कार्य करने लगे हैं। आगे लिखते हैं-

जे वर्णाधम तेलि कुम्हारा ।
स्वपच किरात कोल करवारा ।
नारि हुई गृह सम्पत्ति नासी।
मूढ़ मुड़ाय होइ सन्यासी।

अर्थ- वर्णों में सबसे नीच अधम तेली, कुम्हार, भंगी, किरात, कोल और कलवार हैं जो पत्नी के मर जाने पर या घर की संपत्ति बर्बाद हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी बन जाते हैं और और ब्राह्मणों की तरह लोगों से कुत्सित दान लेते हैं।

संवैधानिक व्यवस्था के कारण भारत के मूलनिवासी एससी, एसटी, ओबीसी आर्य पुत्रों के समकक्ष आकर जब बराबरी का बर्ताव करने लगे तो वह उनकी आंख की किरकिरी बन गए। सछूत शूद्र जब तक सछूत सवर्णों के झांसे में रहे तब तक उन्होंने अछूत शूद्रों के साथ उन्ही से उनके साथ उत्पीड़न किया किन्तु ज्यों ही सछूत शूद्रों और अछूत शुद्रों में चेतना का संचार प्रारम्भ हुआ और दोनों हमसफर होकर काम करना शुरू किया तो उन्हें अपने पुरखों के अतीत का प्राचीन गौरव याद आने लगा।

मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक नंबर 417 के अनुसार-

बिस्त्रब्धं ब्राह्मणः शुद्रादषद्रब्योपादेन माचरेत

नहितस्यास्ति किंचित्सं मर्तृहार्यधनो हि सः।

अर्थ- ब्राम्हण शूद्र से धन छीन लेवे इसमें कुछ भी संकोच न करें क्योंकि वह धन जो कुछ है उसकी संपत्ति नहीं है। दास तो निर्धन है वह जो धन एकत्र करें उस धन पर स्वामित्व उसके स्वामी ब्राम्हण का ही है।

भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को संविधान लागू होने के साथ ही साथ आरक्षण व्यवस्था का शुभारंभ भी हो गया किंतु अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण बहुत देरी में लागू हुआ और जब इन दोनों समुदायों की संख्या शासन-प्रशासन में बढ़ी तो आर्य-ब्राह्मणों ने मूलनिवासी बहुजनों की सरकारों में घुसपैठ की और उनके मुख से ही कहलवा दिया कि सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए।

फलतः केंद्र की भाजपा सरकार ने ईडब्ल्यूएस के नाम पर सवर्णों को शासन-प्रशासन में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की और उसे लागू करने के लिए सख्त निर्देश दिए कि जो अधिकारी इसे लागू करने में विलंब करेगा उसे तीन महीने की सजा और बीस हजार रूपए जुर्माना देना पड़ेगा जबकि एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण जो संविधान सम्मत है जिसे लागू करने के लिए किसी भी प्रकार का सत्ता द्वारा आदेश जारी नहीं किया गया कि जो अधिकारी एससी, एसटी, ओबीसी का संविधान सम्मत आरक्षण लागू नहीं करेगा उसे अमुक दंड भुगतना पड़ेगा। ऐसा आदेश जारी न होने के कारण उनका कोटा आज तक पूरा नहीं किया जा सका। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लोकसभा ने बहुमत से पास कर दिया क्योंकि भाजपा का वहां पर बहुमत था किंतु राज्यसभा में भाजपा अल्पमत में थी और विपक्ष के कुल 155 सांसद थे फिर भी उन्होंने कुछ लोगों को छोड़कर ईडब्ल्यूएस आरक्षण का समर्थन कर पास कर दिया। लोकतांत्रिक भारत में इससे बड़ा हादसा मूलनिवासी बहुजनों के साथ नहीं हो सकता। आज मूलनिवासी बहुजन प्रतिनिधियों की संसद में भारी संख्या है फिर भी उन्होंने अपने लोगों का गला घोंटने में जरा भी रहम नहीं किया। उन्हें आर्य पुत्रों की छलछद्म की पूर्व निर्धारित व्यवस्था आज भी समझ में नहीं आ रही है। आर्य पुत्रों ने साम दाम दंड और भेद की नीति से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर पर कब्जा किया और कॉलेजियम के माध्यम से न्यायपालिका पर भी कब्जा कर लिया है। फलतः ईडब्ल्यूएस के विरोध में पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने जब EWS आरक्षण के विरोध में याचिका दायर किया और देश के विद्वान महाअधिवक्ताओं ने पांच जजों की खंडपीठ में अपने तर्क रखे फिर भी उन्हें वही करना था जो शास्त्र सम्मत था, संविधान सम्मत नहीं। क्योंकि सारे के सारे जज आर्यो के वंशज आर्य-ब्राम्हण थे जिसकी वजह से पीपुल्स पार्टी आफ इंडिया को पुनः रिवियू पीटीशन दायर करना पड़ा जिसका परिणाम क्या होगा आसानी से समझा जा सकता है।

जिन बनियों के पूर्वज कभी साहूकार के रूप में भारत के मूलनिवासियों का खून चूसते रहे उन्हीं के वंशज मारवाड़ी बनिया डॉ. राम मनोहर लोहिया ने कहा धर्म एक दीर्घकालिक राजनीति है जिसका अनुपालन मोड़ घाची बनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सत्ता द्वारा भेजे हुए आर्य पुत्रों के वंशज संतो के भेष में लोगों के बीच में संत समागम करके उन्हें संतोष का पाठ पढ़ाते हैं। उनके बीच में भागवत और रामायण की कथाएं सुनाते हैं। उन्हें भाग्यवाद और पुनर्जन्म का पाठ पढ़ाते हैं। उन्हें सन्तोषं परम सुखं की शिक्षा देते हैं। उनकी बेबसी गरीबी और लाचारी का कारण पिछले जन्म में किए गए उनके कर्मों का फल बताते हैं जिसमें उलझ कर भारत का मूलनिवासी अपनी समस्याओं का कारण न जान सके। अपने संवैधानिक मूल्यों से हमेशा अनभिज्ञ रहे। वह सत्ता द्वारा परोसे गए इमदाद पांच किलो राशन और रसोई गैस के सिलेंडर से संतुष्ट रहें जिसे संवैधानिक अधिकारों से कोई लेना-देना ही नहीं बल्कि हरे रामा, हरे कृष्णा की बोल से अपना भविष्य सवारने की चेष्टा करता रहे। ऐसे ही उलझन के माहौल में आर्य-ब्राह्मणों ने अपने पुरखों के प्राचीन गौरव को लाने का संकल्प लिया जिसमें शूद्रों-अतिशूद्रों के गले में हड्डी और कमर में झाड़ू आसानी से बाधा जा सके। यदि सामाजिक व्यवस्था के शूद्र अति शुद्र आर्य-ब्राह्मणी सामाजिक व्यवस्था के मानकों पर चलने की चेष्टा नही करते तो उनका हश्र वही होगा जो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में उल्लेखित कथा प्रसंग के शूद्र पात्र शंबूक का हुआ था क्योंकि वह शुद्र होकर अपने कर्म न कर ब्राम्हणोचित कर्म करने लगा था।

EWS आरक्षण सत्ता द्वारा बेलगाम होकर सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करना यह आर्य ब्राह्मणी षड्यंत्र है जिसको समझने की नितांत आवश्यकता है। सत्ता के बगैर समस्या का समाधान संभव नहीं जब तक मूलनिवासी बहुजनों के हाथ में सत्ता नहीं आएगी तब तक उनका कोई भला नहीं कर सकता। बामसेफ संगठन के संस्थापक डी. के. खापर्डे के अनुसार- without political power our rights will not be achieved. ■

आर्य पुत्रों ने साम दाम दंड और भेद की नीति से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर पर कब्जा किया और कॉलेजियम के माध्यम से न्यायपालिका पर भी कब्जा कर लिया है। फलतः ईडब्ल्यूएस के विरोध में पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने जब EWS आरक्षण के विरोध में याचिका दायर किया और देश के विद्वान महाअधिवक्ताओं ने पांच जजों की खंडपीठ में अपने तर्क रखे फिर भी उन्हें वही करना था जो शास्त्र सम्मत था, संविधान सम्मत नहीं। क्योंकि सारे के सारे जज आर्यों के वंशज आर्य-ब्राम्हण थे जिसकी वजह से पीपुल्स पार्टी आफ इंडिया को पुनः रिवियू पीटीशन दायर करना पड़ा जिसका परिणाम क्या होगा आसानी से समझा जा सकता है।

संवैधानिक आरक्षण लाभार्थियों को समाज की तरफ से चेतावनी

- सुरेन्द्र सिंह धम्मी
पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी, भारत सरकार

'धन्य हैं वे लोग जो उस समाज के लिए अपना जीवन लगा देते हैं जिसमें वे जन्म लेते हैं। मैं अगर अपने समाज की तकलीफों को दूर नहीं कर सका तो स्वयं को गोली मार लूंगा। अपने समाज की तकलीफों को दूर कर उसे शासक वर्ग बनाने (अपने आंदोलन) के लिए अपनी आमदनी और अन्य सभी संसाधनों का 5 प्रतिशत या उससे अधिक खर्च करो।' -बाबा साहब अम्बेडकर।

इस आदेश को नहीं मानने वाले को आरक्षण/प्रतिनिधित्व का लाभ नहीं लेना चाहिए। बाबा साहब के व्यापक दर्शन का अध्ययन और उसके सभी पहलुओं का संदर्भ सहित समाज में व्यापक प्रचार-प्रसार इस समय युद्ध स्तर की गति और हिम्मत मांगता है। जिस समाज के नाम पर आरक्षण का लाभ लिया है या तो उसका कर्ज चुकाओ वर्ना आरक्षण का सम्पूर्ण लाभ समाज को वापस करो। आरक्षण समाज का है, समाज का दर्द समझने वाले को ही आरक्षण का लाभ लेने दो। समाज चौतरफा धोखाधड़ी का शिकार है, उसे जागरूक कर धोखेबाजों से मुक्त करो। आरक्षणभोगी भी बड़ी संख्या में धोखा दे रहे हैं। इस धोखाधड़ी से बचाने के लिए समाज में समय दो, दिमाग दो, सही दिशा दो, उनकी समस्याओं के लिए लिखा - पढ़ी करो, खुद की पदवी का उपयोग करो, सरकारों और समाज विरोधियों की चाल, रणनीति और नीतियों से समाज को बचाओ, आपसी फूट खत्म करने के लिए समाज को शासक वर्ग बनने के लक्ष्य से जोड़ो। शनिवार, रविवार और अन्य छुट्टियां समाज के लिए इस्तेमाल करो, बाकी अपने परिवार के लिए रखो। लोगों से मिलने का हर अवसर इस्तेमाल करो। हर पल यह मत सोचो कि लोगों की संख्या कितनी है, जितने भी मौजूद हैं उन्हें ही समझाओ।

समाज के हर सदस्य की पहली ड्यूटी समाज के लिए होनी चाहिए, यह संस्कार पैदा करो। ये संस्कार सूबेदार रामजी ने बाबा साहब में पैदा किये, बाबा साहब ने अपनी पत्नी को दिये, फुले साहब ने अपनी पत्नी को दिये, अपने-अपने क्षेत्रों में भी ऐसे लोगों को पाओगे, उनका ही गुणगान और प्रचार करो। आफिस में बाबा साहब को रखो, बुद्ध को रखो, कबीर को रखो, अपने गुरुओं को रखो, उनके विचारों को भाषणों में चर्चाओं में शामिल करो।

समाज में जाओ और बताओ कि बाहर से आने वाली नस्लों ने हमारे पुरखों के साथ क्या किया, जातिवाद किसने और क्यों बनाया, छुआछूत किसने और क्यों पैदा की, ऊँच-नींच की विचारधारा किसने और क्यों पैदा की, संवैधानिक प्रतिनिधित्व की नीति में और ब्राह्मण कृत हिंदुत्व आधारित 100 प्रतिशत आरक्षण नीति में क्या अंतर है? राजनीतिक आरक्षण क्यों खत्म होना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग दुश्मनों के खेमे में बैठ कर मौन धारण कर लेते हैं और हमारे समाज का शोषण होता रहता है। सभी पद-वर्गों में आरक्षण क्यों होना चाहिए, सभी तरह के मंत्रिपरिषदों में आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व क्यों होना चाहिए। संविधान की व्यवस्था से समाज के दुख कैसे दूर होंगे। समाज के मसलों को अधिकारियों तक ले जाओ, अपने कर्मचारियों-अधिकारियों से मिलो और उनको भी यह सब करने के लिए मजबूर करो। सरकारी स्कूलों, अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, सभी प्रकार के दफ्तरों की अव्यवस्था को सुधारने के लिए और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए जो कुछ आवश्यक है वो करो। समाज के साथ खिलवाड़ की सरकारों की करतूतों का भण्डाफोड़ करो। भ्रष्ट कर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ जो भी साथ आयें, समाज को साथ लेकर जंग करो, लेकिन आरक्षण का कर्ज उतारो, क्योंकि यह समाज का है और आप समाज के प्रतिनिधि हो। आप अपने मंत्रालयों के साथ सम्पूर्ण सरकारी व्यवस्था में मौजूद लोगों से ये सब सवाल-जवाब लगातार करो, अपने निजी और सरकारी भ्रमण में भी यह सब करने के लिए रास्ते बनाओ।

पाँच वर्ष अनवरत लगन के साथ और सावधानी के साथ अपना आरक्षण लाभ का कर्ज ऊपरोक्त अनुसार चुका दिया, तो आप अपनी पहचान अपने देश के शासक वर्ग के व्यक्ति की बना लोगे। अपनी औलादों और उनकी औलादों को भी यह पहचान विरासत में दोगे। आपका उत्तरदायित्व, सभी मूलनिवासियों (SC, ST, OBC -इनसे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक) को बाबासाहब का यह आदेश- 'भारत के संविधान के अनुसार शासक वर्ग बनना यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, इस अधिकार को प्राप्त करो।'■

आखिर कब तक हमारे समाज पर दर्दनाक असहनीय उत्पीड़न होते रहेंगे

- इं. एम.एल. गौतम
प्रदेश अध्यक्ष, बामसेफ
उ.प्र.(मध्य) लखनऊ

न्यू इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आदि तमाम स्लोगन तब झूठे साबित होते नजर आ रहे हैं जब ग्राम – पड़खुड़ी पवाई 588, थाना – रामपुर नैकिन, जिला – सीधी, मध्य प्रदेश के जवाहर नवोदय विद्यालय चुरहट सर्रा में कक्षा – आठ के 14 वर्षीय छात्र मू. अमित प्रजापति पुत्र मू. आल्हा प्रजापति विद्यालय के छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे थे उसी दौरान छात्र ने कुछ मनुवादी ब्रह्मणवादी गंदी मानसिकता से ग्रसित तथाकथित उच्च वर्गीय शैतान शिक्षकों द्वारा जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न की वजह से दिनांक 2 जनवरी 2023 को रात्रि काल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। मृतक छात्र मू. अमित प्रजापति ने अपने पिता को सुसाइड नोट लिखकर विद्यालय के कर्मचारी अजीत पांडे के ऊपर आरोप लगाया है कि 'अजीत पांडे मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। मुझे छोटी–छोटी गलतियों में नीच, नशेड़ी, नाली का कीड़ा, आदि भद्दी–भद्दी गालियां देकर अपमानित किया, यहां तक कि मेरे मम्मी–पापा को भिखारी कहकर मुझे जहर खाने और फांसी लगाने को कहते थे।' जाति के नाम पर उत्पीड़न करना तो आम बात हो गई थी। सुसाइड नोट में मृतक छात्र मू. अमित प्रजापति ने अपने मम्मी–पापा से माफी मांगते हुए बताया कि 'विद्यालय में मेरी पेटी रखी है पेटी में मेरा पर्स रखा है। जो आप मुझे खर्च के लिए पैसे देते थे तो उसमें से बचा–बचा कर रू. 1000/– रखा है। बैग के ऊपर वाले जेब में चाबी रखी है। आप जाकर पेटी, पर्स और बैग ले लेना और अजीत पांडे को गिरफ्तार करवा देना। यह कई छात्रों के साथ गलत किया है। कई छात्रों की जिंदगी बर्बाद किया है। और मैं यह कदम अजीत पांडे की प्रताड़ना की वजह से उठाया हूं। लेकिन उसे मत छोड़ना और हमारे दोस्तों को जानकारी भेजवा देना।'

यह सूसाइड नोट दैनिक भास्कर ने मूलरूप में प्रकाशित किया और पूरी खबर नवभारत टाइम्स ने विस्तार से कवर किया परंतु गोदी मीडिया में यह खबर कहीं भी नजर नहीं आई सोशल मीडिया पर पेपर की कटिंग और सुसाइड नोट पढ़कर आंखों में आंसू आ गए कि आज हम किस प्रकार के भारत में प्रवेश कर रहे हैं? भारत का क्या भविष्य होगा? कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। एक तरफ पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया के नारे दिए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ पढ़ने वाले नौनिहाल बच्चों को, छात्रों को, एक षड्यंत्रकारी हिंदू धर्म की जातिवादी शैतानी मानसिकता और पागलपन के चलते मार मारा जा रहा है। चाहे वह रोहित वेमुला की घटना हो या राजस्थान में घड़े का पानी पीने पर बच्चे की हत्या की घटना हो या हर पल मासूम बच्चियों के साथ हत्या एवं बलात्कार की घटनाएं हों या लखनऊ में जोमैटो डिलीवरी मैन विनीत रावत के मुंह पर थूकने की घटना हो। सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद एवं मनुवाद की वजह से पूरे भारत देश में प्रतिदिन हजारों घटनाएं घटती हैं। कुछ खुलती है तो बहुत सारी पन्नों या बातों में ही दफन हो जाती हैं। जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में स्पष्ट लिखा है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।

भारत देश भारतीय संविधान से चलता है क्योंकि भारत में भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से पूर्णता लागू है फिर भी आए दिन लगातार अपराध, अत्याचार, उत्पीड़न हो रहे हैं। आखिर इन अपराधों के खिलाफ कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाये जा रहे हैं? क्योंकि भारत में भारतीय संविधान लागू होने के साथ–साथ मनुवादी, ब्रह्मणवादी, रूढ़िवादी, जातिवादी परंपराएं भी चल रही हैं जिनके पीछे हिंदू धर्म के, धर्म ग्रंथ एवं हिंदू धर्म के धर्म शास्त्र हैं। इसीलिए डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने कहा है कि सबसे पहले हमें हिंदू धर्म के धर्म शास्त्रों को डायनामाइट से नष्ट कर देना चाहिए। क्योंकि ऊंच–नीच, भेदभाव, जातिवाद, लिंगभेद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद आदि सभी बुराइयों का जन्म हिंदू धर्म शास्त्रों से ही होता है।

ब्राह्मणवादी मनुवादी परंपराएं, रूढ़ियों बुराइयों को नष्ट कर समतामूलक समाज की स्थापना के उद्देश्य से सामाजिक जड़े मजबूत करने के उद्देश्य से व्यवस्था परिवर्तन लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वर्षों से फुले–अंबेडकरी आंदोलन लगातार अग्रसर है। और 1973 से लगातार बामसेफ इसी फुले–अंबेडकरी विचारधारा

(शेष पृष्ठ संख्या 10 पर....)

50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण : कर्नाटक, झारखंड और छत्तीसगढ़ से दिल्ली आती राजनीतिक सुनामी

तीन राज्यों की विधानसभाओं ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हाल ही में नए विधेयक लाए हैं। ये सभी विधेयक इस मामले में समान हैं कि सभी में SC, ST, OBC आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से ऊपर चली गई है। 1993 में इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच के फैसले के बाद राजनीतिक-कानूनी हलकों में सहमति-सी बन गई थी कि आरक्षण होना तो चाहिए, लेकिन इसकी सीमा 50 प्रतिशत से ज्यादा न हो। केंद्र सरकार द्वारा गरीब सवर्ण जातियों के लिए लाए गए 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण से ये सहमति टूटी है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण से केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में कुल आरक्षण 59 प्रतिशत हो गया है।

जो राज्य SC, ST, OBC आरक्षण को 50 प्रतिशत से ऊपर ले जाना चाहते हैं, उनमें कर्नाटक भी है, जहां बीजेपी का शासन है। यहां 2023 की गर्मियों में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी और सरकार को लगता है कि आरक्षण की लिमिट बढ़ाने से उसे एससी और एसटी वोटों का फायदा होगा।

राज्यों के विधेयक देर-सवेर केंद्र सरकार के पास पहुंचेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को ये फैसला करना होगा कि SC, ST, OBC आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से ज्यादा करने पर उसका पक्ष क्या होगा। ये सवाल तीन के अलावा और राज्यों से भी आ सकता है। इन विधेयकों को कोर्ट में भी चुनौती दिए जाने के आसार हैं और वहां केंद्र सरकार भी एक पक्ष होगी। सरकार इस बारे में जो भी फैसला करती है, उसके राजनीतिक नफा-नुकसान हो सकते हैं और कई समीकरण बन और बिगड़ सकते हैं।

तीन राज्यों से आता तूफान

1. कर्नाटक सरकार ने हाल ही में विधानसभा में विधेयक पेश किया है, जिसमें एससी और एसटी कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव है। ये विधेयक अक्टूबर 2022 के उस अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस की जगह लेगा जिसमें एससी आरक्षण 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और एसटी आरक्षण तीन प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। कर्नाटक के राज्यपाल ने इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और 1 नवंबर, 2022 से ये लागू भी हो गया है। इस अध्यादेश के लागू होने से पहले कर्नाटक में 32 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण था और SC, ST, OBC का कुल आरक्षण 50 प्रतिशत था, जो अब 56 प्रतिशत हो चुका है। कर्नाटक में एससी और एसटी काफी समय से मांग कर रहे थे कि उन्हें आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। कर्नाटक सरकार ने उनकी मांग पूरी की है।

2. छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राज्य में आरक्षण का गणित बदलने और उसे आबादी के अनुपात के आसपास ले जाने की कोशिश की है। राज्य विधानसभा ने आम राय से दो विधेयक पारित किए हैं, जिनके लागू होने के बाद राज्य की सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में कुल आरक्षण 76 प्रतिशत हो जाएगा। इन विधेयकों के मुताबिक राज्य में एसटी को 32 प्रतिशत, ओबीसी को 27 प्रतिशत, एससी को 13 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस को 4 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इन विधेयकों को लाने की सबसे बड़ी वजह हाईकोर्ट का सितंबर 2021 का वह फैसला है, जिसमें पिछली रमन सिंह सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया गया था जिसमें एसटी का आरक्षण 20 से बढ़ाकर 32 प्रतिशत किया गया था।

ये आंकड़ा राज्य के विभाजन से पहले के एकीकृत मध्य प्रदेश का था, जबकि छत्तीसगढ़ में एसटी आबादी ज्यादा है और छत्तीसगढ़ बनाने का एक बड़ा कारण भी यही था। राज्य के ओबीसी भी मांग कर रहे थे कि 14 प्रतिशत कोटा उनके लिए बहुत कम है। भूपेश बघेल सरकार ने इन दोनों समस्याओं का हल इन विधेयकों के जरिए प्रस्तुत किया है। लेकिन दोनों विधेयक अब राज भवन में अटके हैं क्योंकि राज्यपाल अनुसुइया उईके ने इन्हें मंजूरी नहीं दी है। वजह वही 50 प्रतिशत लिमिट वाला मामला है।

3. झारखंड विधानसभा ने भी हाल में सर्वसम्मति से विधेयक पारित करके राज्य में कुल आरक्षण 77 प्रतिशत करने की दिशा में कदम उठाया है। इन विधेयकों के कानून बनने से राज्य में एसटी आरक्षण 26 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो जाएगा। ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़कर 27 प्रतिशत और एससी आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत होगा। राज्य में ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10 प्रतिशत बनाए रखा गया है।

छत्तीसगढ़ की तरह झारखंड की सरकार भी चाहती है कि आरक्षण विधेयकों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर उन्हें न्यायिक समीक्षा से कुछ हद तक मुक्त रखा जाए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 9वीं अनुसूची भी अब न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। झारखंड के राज्यपाल ने आरक्षण विधेयक को मंजूरी देने की जगह इसे कानूनी राय के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के पास भेजा है।

तीनों राज्यों में सरकारें चाहती हैं कि राज्यपाल आरक्षण विधेयकों को संस्तुति दें ताकि बढ़ा हुआ आरक्षण लागू किया जा सके। लेकिन केंद्र के प्रतिनिधि होने के कारण राज्यपाल को ये ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार इस बारे में क्या सोचती है। इसलिए बात अटकी हुई है। लेकिन क्या ऐसी बाधा कर्नाटक में भी आएगी, जहां बीजेपी का शासन है? ये एक बड़ा सवाल है।

50 प्रतिशत की सीमा : अदालत और संविधान

संविधान में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि सरकारी नौकरियों या शिक्षा में आरक्षण की लिमिट क्या हो। संसद ने भी इस बारे में कोई कानून नहीं बनाया है। इस बारे में अगर कोई मतलब निकालना चाहे तो उसे अनुच्छेद 355 में ये तर्क मिलेगा कि आरक्षण लागू करते समय प्रशासनिक कार्यक्षमता का ध्यान रखा जाना चाहिए। हालांकि ये कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है और यहां प्रशासनिक कार्यक्षमता पर असर नापने का जिम्मा सरकारों पर छोड़ दिया गया है। अभी तक ऐसा कोई अध्ययन भी नहीं हुआ है कि आरक्षण से कार्यक्षमता पर बुरा असर पड़ता है।

50 प्रतिशत की सीमा का पहली बार ठोस जिक्र बालाजी बनाम मैसूर राज्य केस में 1962 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आया। लेकिन वो भी सलाह की शक्ल में। फैसले में कहा गया कि 'अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत दिए जाने वाले आरक्षण की एक वाजिब सीमा होनी चाहिए... मोटे तौर पर कहा जाए तो ये सीमा 50 प्रतिशत से कम होनी चाहिए। लेकिन दरअसल आरक्षण कितना हो ये हर मामले में स्थितियों पर निर्भर होगा।'

वर्ष 1993 में मंडल आयोग की सिफारिशों पर आए इंदिरा साहनी केस में 50 प्रतिशत की सीमा को पहली बार लागू किया गया। संविधान पीठ ने अपने फैसले में लिखा है कि 'अनुच्छेद 16(4) के तहत दिया जाने वाला आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि ये देश और देश के लोग बहुत विविधतापूर्ण हैं इसलिए आरक्षण की सीमा पर बात करते हुए इस बात की अनदेखी नहीं करनी चाहिए।'

इंदिरा साहनी फैसले के बाद से तमाम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 50 प्रतिशत की सीमा को आम तौर पर लागू करा रहे थे। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार के फैसले को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी फैसले को ही आधार बनाया।

ईडब्ल्यूएस से मची अफरातफरी

अब केंद्र सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किए जाने और फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस संविधान की सीमाओं के तहत मानने से 50 प्रतिशत लिमिट को लेकर उथल पुथल मच गई है। इस मामले में बहुमत का फैसला लिखते हुए जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि 50 प्रतिशत की सीमा ऐसी नहीं है, जिसे तोड़ा न जा सके। लेकिन आगे वे लिखते हैं कि वैसे भी 50 प्रतिशत की सीमा तो अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) के तहत दिए जाने वाले आरक्षण पर ही लागू है। इन अनुच्छेदों से एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ है। यानी सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि एससी, एसटी और ओबीसी के अलावा किसी और आधार पर आरक्षण दिया गया तो 50 प्रतिशत की सीमा लागू नहीं होगी। इस आधार पर ईडब्ल्यूएस से संबंधित संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने मान्य कर दिया।

लेकिन क्या केंद्र सरकार भी ये कह पाएगी कि 50 प्रतिशत की सीमा तो टूट सकती है, पर एससी, एसटी, ओबीसी के लिए नहीं? मेरे ख्याल से ऐसा कह पाना केंद्र सरकार और बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। इसके राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं। पहला असर ये होगा कि कर्नाटक में एससी-एसटी का बढ़ा हुआ आरक्षण निरस्त हो जाएगा। दूसरा असर ये हो सकता है कि सरकार की छवि सामाजिक मामलों में एकतरफा फैसला लेने वाली बन सकती है। ■

- दिलीप मंडल, वरिष्ठ पत्रकार
साभार: **दि प्रिन्ट हिन्दी**

छत्तीसगढ़ की तरह झारखंड की सरकार भी चाहती है कि आरक्षण विधेयकों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर उन्हें न्यायिक समीक्षा से कुछ हद तक मुक्त रखा जाए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 9वीं अनुसूची भी अब न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। झारखंड के राज्यपाल ने आरक्षण विधेयक को मंजूरी देने की जगह इसे कानूनी राय के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के पास भेजा है।

तीनों राज्यों में सरकारें चाहती हैं कि राज्यपाल आरक्षण विधेयकों को संस्तुति दें ताकि बढ़ा हुआ आरक्षण लागू किया जा सके। लेकिन केंद्र के प्रतिनिधि होने के कारण राज्यपाल को ये ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार इस बारे में क्या सोचती है। इसलिए बात अटकी हुई है।

संविधान विरोधी मोदी सरकार

- विलक्षण रविदास
बिहार फुले-अंबेडकर युवा मंच
बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन बिहार

दिनांक 8 जनवरी 2019 को आरएसएस के अंध भक्त मोदी की सरकार ने भारतीय संविधान पर जबरदस्त हमला करते हुए 15 प्रतिशत सवर्ण जातियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के बिल को संसद से पास करवाने में सफलता प्राप्त की थी। 54 प्रतिशत की आबादी वाले पिछड़े वर्गों के लिए मात्र 27 प्रतिशत आरक्षण है और वह भी क्रीमीलेयर को लागू करते हुए।

हम सभी जानते हैं कि सामान्य श्रेणी (सवर्ण) में आरक्षण को लागू करने के लिए किसी भी आयोग का गठन नहीं किया गया था और न ही सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण करवाया गया था। मोदी ने बिल्कुल मनमानी करते हुए आरक्षण देने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के प्रावधानों में वर्णित सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार को दरकिनार कर सवर्ण जातियों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू कर दिया। इस आरक्षण के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के दशकों से लागू निर्णय को ठेंगा दिखाते हुए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 60 प्रतिशत कर दी गई।

संविधान पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 1951 ई में हमला किया था जबकि तमिलनाडु में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए 68 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया। जब उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में वहां के एक ब्राह्मण तथाकथित हिन्दू ने चुनौती दी थी तो कोर्ट का फैसला आया था कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण देना संविधान के विरुद्ध है, इसलिए केवल 50 प्रतिशत ही आरक्षण दिया जा सकता है। पुनः सुप्रीम कोर्ट ने उसी के अनुरूप 1993 ई में मंडल कमीशन की सिफारिशों के अनुरूप पिछड़े वर्गों के लिए लागू हुए आरक्षण में आर्थिक आधार को जोड़ते हुए क्रीमीलेयर को भी लगा दिया, जो संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) पर हमला था।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की ब्राह्मणवादी मनोवृत्ति को भांप कर ही मोदी सरकार ने आरएसएस के एजेंडे को लागू करने के लिए जम्मू-कश्मीर के 370 अनुच्छेद पर हमला किया है और आतंकवाद के नाम पर पूरे कश्मीर को तहस-नहस करने का कदम उठाया है। इसके साथ ही मोदी सरकार एन आर सी को पूरे भारत में लागू करने के लिए नागरिकता संशोधन कानून संसद से पास कराया है ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों एवं मुसलमानों की 70 प्रतिशत अशिक्षित-अनपढ़ आबादी को वैध पेपर की कमी के कारण राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक सुविधाओं एवं मानसिक- शारीरिक तौर पर उत्पीड़न किया जा सके और नागरिकता से अलग किया जा सके।

इस कानून से नागरिकता देने सम्बन्धी संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 का घोर उल्लंघन हुआ है क्योंकि उसमें कहीं भी धर्म के आधार पर नागरिकता देने का उल्लेख नहीं है। इस कानून से अनुच्छेद 14 और 21 के प्रावधानों का भी घोर उल्लंघन होता है जिसमें सभी व्यक्तियों के लिए समानता और सम्मानपूर्ण जीवन संरक्षण की गारंटी के प्रावधान हैं, चाहे वे भारत के नागरिक हों या फिर विदेशों से आए हुए शरणार्थी।

लेकिन मोदी और शाह सहित सभी मंत्रीगण दिन-रात झूठ बोलते रहे हैं कि यह कानून नागरिकता देने के लिए है। तो फिर इस कानून में धर्म के आधार पर विभेद करते हुए केवल तीन ही देशों को क्यों चुना गया है? श्रीलंका, वर्मा, नेपाल के नाम क्यों नहीं हैं? मुसलमानों, तमिलों एवं अन्य शरणार्थियों को क्यों छोड़ दिया गया है? दरअसल ये आरएसएस के गुर्गे इस देश के संविधान के विरोधी हैं, ये इस देश के मूलनिवासी बहुजन समाज के दुश्मन हैं, ये लोग महिलाओं के विरोधी हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों एवं व्यवस्था के दुश्मन हैं।

इसी का नतीजा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर ये लाठी चार्ज करवाते हैं, गोली चलवाते हैं, विश्व विद्यालय पर अपने गुंडों और पुलिस के द्वारा हमले करवाते हैं। जामिया मिल्लिया वि.वि., अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जेएनयू पर हुए हमलों से तो इनका दंगाई चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो गया है। ऐसा करते हुए इन्हें लज्जा भी नहीं आती है, क्योंकि सदियों से इनके हाथ मूलनिवासी बहुजन समाज के निर्दोष लोगों के खून से रंगे हुए हैं। हिंसा, शोषण और उत्पीड़न इनके खून में सम्मिलित है। इनके खिलाफ हमें लगातार अहिंसक लोकतांत्रिक संघर्ष एवं युद्ध करना ही होगा।

तो आइए, संविधान और देश को बचाने के लिए एवं मूलनिवासी बहुजन समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए हम तब तक संघर्ष करें जब तक कि ब्राह्मणवादी भाजपा और आरएसएस को सत्ता एवं समाज से उखाड़कर फेंक न दें। ■

निजीकरण अतीत का गौरव लाने की कवायद

-मूलनिवासी अग्रजा, रूड़की, हरिद्वार

केंद्र की भाजपा सरकार उन सभी संवैधानिक संस्थाओं को निजी हाथों में सौंपती जा रही है जिसमें देश के समस्त नागरिकों के लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है। भारत में वर्ण और जाति व्यवस्था हावी है। जिन निजी हाथों में संवैधानिक संस्थाएं सौंपी जा रही है वह तथाकथित ऊंची जाति से संबंध रखते हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत में भारत के मूलनिवासियों को उनके संवैधानिक अधिकार न देने की कसमें खायीं हैं, क्योंकि वह अतीत की सामाजिक व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध है संविधान के प्रति नहीं। वे चाहते हैं कि जातियों में बांटे गए मूलनिवासी जातियां पूर्व की भांति कुम्हार बर्तन बनाए, चमार जूता सिले, अहीर दूध बेचे, कहार पानी भरे, जाट, गुर्जर खेती करें, भंगी सफाई का काम करें, तेली तेल बेचे और उपरोक्त सभी निंदा रहित होकर ऊपर के तीनो वर्णो (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) की सेवा करें यही उनका धर्म है। शासन-प्रशासन में उनकी कोई जरूरत नहीं। स्वराज प्राप्ति सवर्णो के लिए है शुद्र-अतिशुद्रों के लिए नहीं। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक से जब पिछड़े वर्ग के लोगों ने स्वराज में अपने भागीदारी की बात उठाई तो उन्होंने उन्हें आगाह करते हुए कहा था, 'मेरी समझ में नहीं आता कि ये तेली, तमोली और कुनभट संसद में क्यों जाना चाहते हैं? तेली संसद में जाकर क्या तेल बेचेगा? कुर्मी संसद में जाकर क्या हल चलाएगा? तमोली क्या संसद में जाकर कपड़ा सिलेगा? आज वह दृश्य देश की जनता के सामने परिलक्षित हो रहा है।

संवैधानिक संस्थाओं का निजी हाथों में बेचने का मतलब ऊंची जाति द्वारा भारत के मूलनिवासियों के हक अधिकारों को नकारना। जिन आर्य पुत्रों के हाथों में संवैधानिक संस्थाएं होगी वे अपनी जाति बिरादरी के लोगों को ही प्रतिनिधित्व प्रदान करेंगे भारत के मूलनिवासियों को नहीं क्योंकि मामला नस्लभेद का है। उन्होंने साम-दाम-दंड-भेद की धर्म की राजनीति से सत्ता हासिल किया है इसलिए मूलनिवासी बहुजनों का सत्यानाश करना उनका धर्म है और वे वही करेंगे जो शास्त्र सम्मत है संविधान सम्मत नहीं। वे धर्म शास्त्रों के अनुसार मूलनिवासियों को शिक्षा संपत्ति आदि सभी अधिकारों से वंचित करेंगे। मनु का धर्मादेश है- 'शूद्राय मतिं न दद्यान्यो' शूद्रों को शिक्षा मत दो। मनु के धर्मादेश के अनुसार शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं। 'शक्तेनापि हि शुद्रेण न कार्यो धन संचयः। शुद्रम हि धनमासाद ब्राह्मणान नववाधते'। अर्थात- समर्थ होने पर भी शूद्र धन संचय न करें। उसके पास धन नहीं होना चाहिए अन्यथा वह ब्राह्मणों को दुख पहुंचाएगा। तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार- धृतं दुग्धं च तांबुलम श्रेष्ठं ऽन्नं तथैव च शुद्रं बर्जितः। शुद्र ग्रहे न बासेत न च शुद्धं जलम पीवेत उच्च स्थानं बर्जितः। एषांम कारुणास्तु दुखम भवेत। अर्थात- घी, दूध, पान, श्रेष्ठ अन्न आदि शूद्रों के लिए वर्जित है। शूद्रों को घर में नहीं रहना चाहिए। शुद्ध जल नहीं पीना चाहिए। ऊंचा स्थान शुद्रों के लिए वर्जित है क्योंकि इससे ब्राह्मणों को दुख होता है।

केंद्र की भाजपा सरकार आर्य-ब्राह्मणों की शास्त्र सम्मत धारणा के अनुसार शासन सत्ता चलाना चाहती है जिसके कारण वह अतीत की पूर्व निर्धारित मूल्यों को सत्ता की ताकत से देश में प्रस्थापित करना चाहती है। भारत की संसद और विधानसभाओं में बैठे हुए मूलनिवासी जनप्रतिनिधि जो विभिन्न दलों से संबंध रखते हैं वह पद और प्रतिष्ठा के लिए अपने समाज का अपने हाथों से ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उन्हें अभी भी इस बात का एहसास नहीं है कि आज नहीं तो कल शासक जातियां तुम्हें संसद और विधानसभाओं से धक्के मार कर बाहर कर देंगे उन्हें केवल इंतजार है इस बात का कि कब वे इस कार्य को अंजाम दे। हमारे देश में अत्याचार और उत्पीड़न अनाचार और दुराचार की बढ़ती घटनाएं शास्त्र सम्मत हैं और शास्त्र सम्मत धार्मिक धारणाओं को अंजाम देने का कार्य सत्ता में बैठी शासक जातियां कर रही हैं जिसमें मूलनिवासी बहुजन समाज के जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, जिसकी उन्हें कोई परवाह नहीं।

शास्त्र सम्मत धर्म की राजनीति में आर्य ब्राह्मणों की सावरेंटी (संप्रभुता) है जबकि संविधान सम्मत राजनीति में भारत की समस्त जनता में सावरेंटी है जिसे आर्य-ब्राह्मणों को स्वीकार नहीं। इसलिए वे धर्म की राजनीति द्वारा अपने अतीत के प्राचीन गौरव वर्ण और जाति व्यवस्था पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को भारत में पुनः प्रस्थापित करना चाहते हैं। भारत का संविधान भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना चाहता है जिसे आर्य पुत्रों को मंजूर नहीं क्योंकि संविधान उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुपात में उन्हें हिस्सेदारी देना चाहता है जो भारत के मूलनिवासी संख्या में 90 प्रतिशत हैं उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलना तय है। इसलिए शासक जातियां एन-केन-प्रकारेण केंद्र की सत्ता में बनी रहने के लिए साम-दाम-दंड-भेद जो उनके पुरखों की दी हुई विरासत है उससे वे सत्ता में बनी रहना चाहती है। इसीलिए आर्य पुत्रों ने संकल्प लिया है कि वह सत्ता के माध्यम से अतीत का प्राचीन गौरव वापस लाएंगे जिसमें आर्यो के वंशजों को पूर्व की भांति पुनः उन्हें उनको जीवन के सभी क्षेत्रों में एकाधिकार प्राप्त हो सके, यह निजीकरण से ही संभव है अन्य किसी मार्ग से नहीं। इसलिए केंद्र की भाजपा सरकार देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं का निजीकरण करने पर तुली हुई है। ■

भीमा कोरेगांव की लड़ाई स्वाभिमान जगाने का गौरवशाली इतिहास है

कहते हैं कि महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि कौरवों ने पांडवों को जमीन, जायदाद, सत्ता, सम्पत्ति इत्यादि से बेदखल कर दिया था। दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया था कि 'सुई कि नोंक पर थरथराते कण के बराबर अंश भी तुम्हें नहीं दूंगा।' ऊपर से द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे महान, विद्वान, धुरंधर भी कौरवों के ही पक्ष में खड़े थे।

अंततः श्री कृष्ण जो कि सबके समान रूप से भगवान थे उन्होंने ही पांडवों के पक्ष में खड़े होकर इसे पारिवारिक, सामाजिक झगड़ा नहीं बल्कि धर्मयुद्ध करार दिया। जबकि पांडवों ने सबकुछ जुए में खुद ही गंवाया था। बावजूद इसके वह हिस्सेदारी चाहते थे। बहरहाल! यह पौराणिक कथाएं हैं इन्हीं के उदाहरण से मनुष्य कभी-कभी अपनी अच्छाई, बुराई और न्याय, अन्याय को परिभाषित करता है।

जब पेशवाओं का दौर आया तब बाजीराव पेशवा द्वितीय ने महारों के लिये वही महाभारत का संवाद अथवा डायलॉग दोहराया कि सुई की नोंक पर थरथराते कण के बराबर भी तुम महारों को हिस्सा नहीं दूँगा। बस फर्क यह था कि पांडवों ने अपना सबकुछ जुए में गंवाया था जबकि महारों से पेशवाओं ने अपनी सत्ता हासिल करने, महारों को अपना गुलाम बनाने के उद्देश्य से सबकुछ छीना गया था।

उसपर भी पेशवाओं ने महारों पर मार्शल लॉ लगा दिया जो कि दुनिया के सबसे क्रूरतम व्यवस्था में एक है। थूकने के लिए गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांध दी गयी थी ताकि जमीन अपवित्र न हो। हाथ में व गले मे काला धागा बांधा गया जिससे उनकी पहचान दूर से हो और कोई सवर्ण हिन्दू उनसे गलती से भी स्पर्श न कर सके। इस प्रकार इंसान से उनकी सारी इंसानियत ही छीनी गयी थी।

हर व्यक्ति का, किसी भी घटनाक्रम को देखने का नजरिया उसके पूर्वाग्रहों पर ही केंद्रित होता हैं। समाज में उसी बात की अधिक स्वीकृति अधिक होती है जिसका प्रचार और प्रचलन भी अधिक हो। पौराणिक काल खंडों में बहुत धर्मो और उनके ईश्वरों तथा सत्ताओं का भी उदय हुआ। कुछ का प्रचार और प्रचलन की कमी के चलते समाप्त हो गए। जिनकी सभ्यताएं विकसित हो सकी उनका वर्णन भी हुआ और महिमामंडन भी हुआ।

कुछ सभ्यताएं क्रूर और बेहद अमानवीय रही। पेशवाओं का दौर शूद्रों के लिए उन्हीं अमानवीय दौर में से एक था जिसमें मनुष्यों से उनके जिंदा होने या मनुष्य कहलाने का भी अधिकार छीन लिया था। पेशवाओं के इस घोर अत्याचारों के कारण महारों में अन्दर ही अन्दर असन्तोष व्याप्त था। वे पेशवाओं से मिलकर यह संकेत दे चुके थे कि आपको अपना रवैया, विचार और शास्त्र बदलने होंगे अन्यथा परिणाम ठीक नहीं होंगे।

सत्ता और श्रेष्ठता के अहंकार में डूबे पेशवाओं ने महारों से कहा कि तुम शूद्र हो, शूद्र ही बने रहो। तुम हमारे अधीन हो यही तुम्हारी नियति है। महार अब पेशवाओं से इन जुल्मों का बदला लेने के लिए मौके की जबरदस्त तलाश में थे। आवश्यकता थी एक उचित अवसर की। जब महारों का स्वाभिमान जागा, तब पूना के आस-पास के महार लोग पूना आकर अंग्रेजों की सेना में भर्ती हुए। इसी का प्रतिफल भीमा कोरेगांव की लड़ाई का गौरवशाली इतिहास है।

कोरेगांव महाराष्ट्र प्रदेश के अन्तर्गत पूना जनपद की शिरूर तहसील में पूना नगर रोड़ पर भीमा नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। इस गांव को भीमा नदी के किनारे बसा होने के कारण ही भीमा कोरेगांव कहते हैं। इस गांव की पूना शहर से दूरी 16 मील है। 1 जनवरी 1818 को 500 महारों और 28 हजार पेशवा सैनिकों के बीच युद्ध हो गया। महारों की पैदल फौज अपनी योजना के अनुसार 31 दिसम्बर 1817 ई. की रात को कैप्टन स्टाटन, शिरूर गांव से पूना के लिए अपनी फौज के साथ निकला।

उस समय उनकी फौज 'सेकेंड बटालियन फर्स्ट रेजीमेंट' में मात्र 500 महार थे। 260 घुड़सवार और 25 तोप चालक थे। उन दिनों भयंकर सर्दियों के दिन थे। यह फौज 31 दिसम्बर 1817 ई. की रात में 25 मील पैदल चलकर दूसरे दिन प्रातः 8 बजे कोरेगांव भीमा नदी के एक किनारे जा पहुंची। 1 जनवरी सन् 1818 ई. को बम्बई की नेटिव इंफैन्टरी फौज (पैदल सेना) अंग्रेज कैप्टन स्टाटन के नेतृत्व में नदी के एक तरफ थी।

दूसरी तरफ बाजीराव की विशाल फौज दो सेनापतियों रावबाजी और बापू गोखले के नेतृत्व में लगभग 28 हजार सैनिकों के साथ जिसमें दो हजार अरब सैनिक भी थे, सभी नदी के दूसरे किनारे पर काफी दूर-दूर तक फैले हुए थे। '1 जनवरी सन 1818 को प्रातः 9.30 बजे युद्ध शुरू हुआ। भूखे-थके महार अपने सम्मान के लिए बिजली की गति से लड़े। अपनी वीरता और बुद्धि बल से 'करो या मरो' के संकल्प के साथ समय-समय पर ब्यूह रचना बदल कर बड़ी कड़ाई के साथ उन्होंने पेशवा सेना का मुकाबला किया।

युद्ध चल रहा था। कैप्टन स्टाटन ने पेशवाओं की विशाल सेना को देखते हुए अपनी सेना को पीछे हटने के लिए याचना की। महार सेना ने अपने कैप्टन के आदेश की कठोर शब्दों में भर्तसना करते हुए कहा हमारी सेना पेशवाओं से लड़कर ही मरेगी किन्तु उनके सामने आत्म समर्पण नहीं करेगी, न ही पीछे हटेगी, हम पेशवाओं को पराजित किए बिना नहीं हटेंगे। मर जायेंगे। यह महारों का आपसे वादा है।' महार सेना अल्पतम में होते हुए भी पेशवा सैनिकों पर टूट पड़े, तबाही मच गयी।

लड़ाई निर्णायक मोड़ पर थी। पेशवा सेना एक-एक कदम पीछे हट रही थी। लगभग सांय 6 बजे महार सैनिक नदी के दूसरे किनारे पेशवाओं को खदेड़ते-खदेड़ते पहुंच गये और पेशवा फौज लगभग 9 बजे मैदान छोड़कर भागने लगी। इस लड़ाई में मुख्य सेनापति रावबाजी भी मैदान छोड़ कर भाग गया परन्तु दूसरा सेनापति बापू गोखले को भी मैदान छोड़कर भागते हुए को महारों ने पकड़ कर मार गिराया।

इस प्रकार लड़ाई एक दिन और उसी रात लगभग 9.30 बजे लगातार 12 घंटे तक लड़ी गयी जिसमें महारों ने अपनी शूरता और वीरता का परिचय देकर विजय हासिल की। महारों की इस विजय ने इतिहास में जुल्म करने वाले पेशवाओं के पेशवाई शासन का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। भारतीय इतिहास की यह एक अनूठी मिशाल बनकर हमेशा ऊर्जा ही प्रवाहित नहीं किया बल्कि इसमें पेशवाओं की ऐतिहासिक हार के साथ उनकी पेशवाई और अहंकार सब दफन हो गया तथा नये युग का आगाज हुआ।

कोरेगांव के मैदान में जिन महार सैनिकों ने वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किया। अंग्रेजों ने उनके सम्मान में सन 1822 ई. में कोरेगांव में भीमा नदी के किनारे काले पत्थरों का क्रान्ति स्तम्भ का निर्माण किया। सन 1822 ई. में बना यह स्तम्भ आज भी महारों की वीरता की गौरव गाथा गा रहा है। महारों की वीरता के प्रतीक के रूप में अंग्रेजों ने जो विजय स्तम्भ बनवाया है, वहां उन्होंने महारों की वीरता के सम्बन्ध में अंग्रेजों ने स्तुति युक्त वाक्य लिखा- "A One of the proudest traimphs of the British Army in the east" ''ब्रिटिश सेना को पूरब के देशों में जो कई प्रकार की जीत हासिल हुई उनमें यह अदभुत जीत है।''

इस स्तम्भ को हर साल 1 जनवरी को देश की सेना अभिवादन करने जाती थी।

- आर. पी. विशाल
(लेखक एवं सामाजिक चिंतक)
(www.facebook.com@rpvishal)

इसे सर्व प्रथम 'महार स्तम्भ' के नाम से सम्बोधित किया जाता था। बाद में इसे विजय या फिर 'जय स्तम्भ' के नाम से जाना गया। आज इसे 'क्रान्ति स्तम्भ' के नाम से पुकारा जाता है, जो सही दृष्टि में 'ऐतिहासिक क्रान्ति' स्तम्भ है। यह स्तम्भ 25 गज लम्बे 6 गज चौड़े और 6 गज ऊंचे एक प्लेट फार्म पर स्थापित 30 गज ऊंचा है तथा जैसे-जैसे ऊपर जायेगा, उसकी चौड़ाई कम होती जायेगी। जिसको सुरक्षा की दृष्टि से लोहे की ग्रिल से कवर किया गया है।

इतिहास की किताबों से लेकर फिल्मों तक में भले ही शोषकों का ही महिमामंडन हुआ हो और अन्याय के खिलाफ लड़ाई को देश विरोधी भी बताने का प्रयास किया गया हो लेकिन जब आप शुरुआत से लेकर अंत तक, अपनों की भूमिका से लेकर व्यवस्था तक का अवलोकन, विश्लेषण करेंगे तब पूरा इतिहास पारदर्शी होकर सामने आएगा तथा खोखली महानता रेत के टीले की भाँति पल भर में ढेर हो जायेगा।

आज भी महार रेजीमेंट के सैनिकों पर कोरेगांव की लड़ाई की याद में बनाए इस स्तम्भ पर बाबासाहेब डा. अम्बेडकर हर साल 1 जनवरी को अपने शहीद हुए पूर्वजों को अदरर्पण करने कोरेगांव जाते थे। आज इस पवित्र स्मारक पर लाखों की संख्या में लोग अपने पुरखों को आदर सुमन अर्पित करने आते हैं। कोरेगांव के इस युद्ध में 20 महार सैनिक और 5 अफसर शहीद हुए। शहीद हुए महारों के नाम, उनके सम्मान में बनाये गये स्मारक (स्तम्भ) पर अंकित हैं। जो इस प्रकार हैं- 1. गोपनाक मोठेनाक, 2. शमनाक येशनाक 3. भागनाक हरनाक, 4. अबनाक काननाक 5. गननाक बालनाक, 6. बालनाक घोंडनाक 7. रूपनाक लखनाक, 8. बीटनाक रामनाक 9. बटिनाक धाननाक, 10. राजनाक गणनाक, 11. बापनाक हबनाक, 12. रेनाक जाननाक, 13. सजनाक यसनाक, 14. गणनाक धरमनाक, 15. देवनाक अनाक 16. गोपालनाक बालनाक, 17. हरनाक हरिनाक, 18. जेठनाक दीनाक, 19. गननाक लखनाक ।

इस लड़ाई में महारों का नेतृत्व करने वालों के नाम निम्न थे-

रतननाक, जाननाक और भकनाक आदि

इस संग्राम में जख्मी हुए योद्धाओं के नाम निम्न प्रकार हैं-

1. जाननाक, 2. हरिनाक, 3. भीकनाक, 4. रतननाक, 5. धननाक । ■

(पृष्ठ संख्या 2 का शेष...)

देश के विभिन्न भागों में मूलनिवासी...

मूलनिवासी संघ के वरीष्ठ सदस्य मू. बिरेन दास द्वारा विजयी पार्षद मू. कुसमा देवी को चादर (शाल) प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विषय प्रवेश सेवानिवृत इंजीनियर मान्यवर देवेन्द्र मोदी द्वारा किया गया। मंचासीन मुख्य अतिथि मान्यवर प्रोफेसर डॉ. विलक्षण रविदास द्वारा भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले पर विस्तार से चर्चा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता से.नि.पुलिस उपाधीक्षक मान्यवर विष्णु रजक, जिलाध्यक्ष मूलनिवास संघ भागलपुर एवं बांका जिला प्रभारी मान्यवर उमेश बौद्ध ,मूलनिवासी सियाराम रजक, बामसेफ राज्य कार्यकारिणी सचिव मान्यवर रमेश पासवान, मूलनिवासी मान्यवर डॉ राकेश कुमार, मूलनिवासी मान्यवर अजय कुमार, मूलनिवासी रत्नाकर रत्न, मूलनिवासी योगेन्द्र यादव, मूलनिवासी रामदेव यादव, मूलनिवासी सुग्रीव पासवान ने संबोधन किया। सभी वक्ताओं ने माता सावित्रीबाई फुले के जीवन चरित्र, उनके द्वारा किये गये कार्यों, सामाजिक आंदोलनों में उनके महत्वपूर्ण योगदान पर विस्तृत चर्चा की। इस कार्यक्रम में मूलनिवासी रंजीत रजक, मूलनिवासी मुनीलाल मंडल, मूलनिवासी रोमेन कुमार, मू. सत्येन्द्र कुमार मंडल, मू. महेश अम्बेडकर, मूलनिवासी मुकेश दास सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिला, पुरुष, युवा तथा बच्चें शामिल हुए।

फरल, कैथल : 08 जनवरी 2023 को गांव फरल, जिला कैथल, हरियाणा के डॉ भीमराव अंबेडकर भवन में मूलनिवासी सभ्यता संघ हरियाणा के राज्य कार्यकारिणी सदस्य मू. नशीब बौद्ध की अध्यक्षता में राष्ट्रमाता भारत की पहली मुस्लिम महिला फातिमा शेख का जन्मदिन मनाया गया। गांव फरल के युवाओं व बच्चों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। फातिमा शेख के बारे में उनके जीवन संघर्ष के बारे में बच्चों को व महिलाओं, युवाओं को भी जानकारी दी गई। एक बहुत ही अच्छा कलाचार कार्यक्रम बच्चों ने पेश किया जो सराहनीय कदम है। छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है, अगर छोटे बच्चों को अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी देंगे तो वे आगे चलकर देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। अपने महापुरुषों की विचारधारा पर चलकर अपने समाज और देश का कल्याण करेंगें। माता सावित्रीबाई फुले व राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का जीवन संघर्ष के बारे में जानकारी दी गई। माता फातिमा शेख का जन्म 09 जनवरी 1831 को हुआ था। उन्होंने ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर बहुत से स्कूलों का निर्माण करवाया। देश में शिक्षा की क्रांति की शुरुआत हुई वंचित शोषित पिछड़े वर्ग की महिलाओं और लोगों के लिए पाठशालाएं खोली, ऐसे महान शिक्षा की क्रांति करने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रप्रेरणा फातिमा शेख को हम नमन करते हैं सेल्यूट करते हैं आज उनके कारण हमारे जीवन में उजाला हुआ है।

दिल्लीः दिल्ली और गाजियाबाद से लगे पप्पू कॉलोनी में दिनांक 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और राजमाता जिजाऊ जयंती को संयुक्त तौर पर मूलनिवासी संघ के तत्वाधान में मनाया गया। इस अवसर पर मूलनिवासी विद्यार्थी संघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष इंजी. ललित कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में विशिष्ट वक्ता के तौर पर राज्य अध्यक्ष मोहम्मद तौसीफ, राज्य महासचिव सुरेंद्र कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता जागृति किशोर और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की महिला नेता रेखा मूलनिवासी, पीपीआईडी के राज्य उपाध्यक्ष अजय जिनवाल व सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद अमजद आदि उपस्थित रहे। सभी ने अपने विचारों से उपस्थित जन समूह का मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मूलनिवासी संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व दिल्ली राज्य प्रभारी भीम किशोर ने की। मूलनिवासी सभ्यता प्रोग्राम की श्रृंखला में कलाकारों द्वारा गजल और विधि कलाकार द्वारा एक नृत्य की प्रस्तुति पेश की गई। जिसको उपस्थित जनसमूह ने अति सराहना और बाल कलाकारों की हौसला अफजाई की।

नगीना, बिजनौरः दिनाँक 03 जनवरी 2023 को माता सावित्रीबाई फूले जन्मदिवस अम्बेडकर स्टडी क्लासेज ग्राम जलालपुर, नगीना (बिजनौर) में मूलनिवासी विद्यार्थी संघ बिजनौर के तहत बच्चों के साथ मनाया गया। जहां बच्चों को माता सावित्रीबाई फूले जी के बारे में कपिल कुमार सागर (कोचिंग संचालक एवं MVS जिलाध्यक्ष बिजनौर) ने विस्तार से समझाया। बच्चों ने सावित्री जी की कविताओं, शायरी से सबका मन मोहा। तत्पश्चात बच्चों को पेंसिल–रबर वितरित की गईं।

गांधीधाम, कच्छ : 3 जनवरी 2023 को माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर गांधीधाम जिला कच्छ–गुजरात मे फुले–अम्बेडकरी विचारधारा के प्रचारकों/सदस्यों ने सावित्री बाई फुले के जीवन एवं भीमा कोरेगाँव युद्ध के विजय संबंधित सोर्टफिल्म देखी साथ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले सामाजिक क्रांति संस्थान रिंगनाबोड़ी–नागपुर में बामसेफ का 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन हुआ, वहाँ जिन सदस्यों ने भाग लिया उन सदस्यों ने वहाँ की गतिविधियों का सार प्रस्तुत किया। भारतीय संविधान के प्रचार–प्रसार हेतु BS-4 अभियान का संदेश घर–घर पहुंचने के लिए विचार–विमर्श किया गया।

राजगढ़, लखीमपुर खीरीः 3 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को बामसेफ, मूलनिवासी संघ, मूलनिवासी विद्यार्थी संघ लखीमपुर–खीरी द्वारा महामाया बुध्द विहार राजगढ़, लखीमपुर–खीरी में भारत वर्ष की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्री बाई फूले की जयन्ती बड़े धूमधाम से मनाई गई। जिसके मुख्य अतिथि मू. के पी कनौजिया पोस्ट मास्टर प्रधान डाकघर लखीमपुर–खीरी, विशिष्ट अतिथि बहन मू. पूनम गौतम, अध्यक्ष महिला बौद्ध सभा लखीमपुर–खीरी, अध्यक्षता मू. रामकुमार योगी एडो. पूर्व अध्यक्ष उ.प्र. मूलनिवासी संघ व संचालन मू. परशुराम जिला अध्यक्ष बामसेफ खीरी द्वारा किया गया। संगोष्ठी में निम्न वक्ताओ मू. जसपाल बौद्ध जिला अध्यक्ष मूलनिवासी संघ, मूलनिवासी आर एस गौतम, मू. सरला गौतम, बहन संघमित्रा बौद्ध शाहजहां पुर इत्यादि सभी ने माता सावित्री बाई फुले के जीवनी व संविधान पर प्रकाश डाला तथा संविधान से आज तक हमें क्या मिला है व न रहने पर क्या नुकसान होने वाला है बताया। संगोष्ठी का समापन मू. शंकर दयाल वरिष्ठ कार्यकर्ता, मूलनिवासी संघ द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मू. बीर बहादुर उपाध्यक्ष, बामसेफ उ.प्र. मध्य ने विशेष सहयोग किया।

छिंदवाड़ा, म.प्र. : सावित्री बाई फूले जयंती पर शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, छिंदवाड़ा, म.प्र. में BS4 door to door के तहत कार्यक्रम का आयोजन कर छात्राओं को सावित्री बाई की जीवनी पुस्तिका, BS-4 सामजिक लोकतंत्र की ओर का पर्चा व मूलनिवासी कैलेंडर के मसध्यम से जगरूकता अभियान का आगाज किया गया, महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. अजरा एजाज ने छात्राओं को संबोधित किया तथा रोटरी क्लब मेंबर्स छिंदवाड़ा को BS4 डोर टू डोर व सामजिक लोकतंत्र की ओर, आर्थिक लोकतंत्र की ओर, राजनीतिक लोकतंत्र की ओर का मतलब समझा कर जागरूक किया तथा मूलनिवासी कैलेंडर के साथ सावित्री बाई फुले की जीवनी पर किताब भेंट की। रोटरी क्लब मेंबर्स छिंदवाड़ा को 'BS-4 डोर टू डोर व सामजिक लोकतंत्र की ओर' का मतलब समझा कर जागरूक किया तथा मूलनिवासी कैलेंडर के साथ सावित्री बाई की जीवनी किताब भेंट की। ■

(पृष्ठ संख्या 1 का शेष)

हम माता सावित्री फूले और फातिमा...

आह्वान किया। जिसमें महिलाओं की भूमिका प्रमुख होनी चाहिए, इसी अपील के साथ उन्होंने फुले–अंबेडकर आंदोलन को गतिमान करते हुए पिछड़े, अति पिछड़े वर्गों की महिलाओं को आंदोलन में जुड़ने का निवेदन भी किया।

मूलनिवासी संघ की राष्ट्रीय संगठन सचिव इंजी. सोनाली कान्हेकर ने उपस्थित महिलाओं को राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले और राष्ट्रप्रेरणा फातिमा शेख की संयुक्त जयंती पर बधाई दी। साथ ही उन्होंने महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और कल्चरल गुलामी को एक व्यवस्था की देन बताया। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में महिलाओं की स्वाधीनता और स्वतंत्रता के मार्ग में सिर्फ पुरुषवादी सोच ही कोई कारण नहीं है बल्कि उन्होंने एक नए दृष्टिकोण के साथ कहा कि इसके पीछे एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था रही है। भले ही वह किसी पुरुष या स्त्री के द्वारा निर्मित की गई व्यवस्था हो, लेकिन इस व्यवस्था के निर्माता अगर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक शक्ति पर एक तरफा वर्चस्व करके अतिक्रमण ना करते अर्थात उनके ही पास सिर्फ यह सारी शक्तियां ना होती तो वह अन्य वर्गो; महिलाओं, शोषित, पिछड़े, अति पिछड़े वर्गो का शोषण करने में सफल ना होते। इसके लिए आज महिलाओं की स्वतंत्रता और उनके मानवीय अधिकारों के लिए महिलाओं को भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और कल्चरल शक्ति और क्षेत्रों पर अपना प्रतिनिधित्व अर्थात अपनी हिस्सेदारी जो कि 50 प्रतिशत है को हासिल करना ही होगा। हर क्षेत्र में महिलाओं को अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी को लेना होगा। माता सावित्रीबाई फूले और उनकी शिक्षा की क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाली उनकी सहयोगी माता फातिमा शेख ने शोषित पीड़ित, पिछड़े पुरुष और महिलाओं के लिए संघर्ष जिस तरह से किया, वही आज इस देश के तमाम शोषित–पीड़ित–पिछड़े और महिलाओं के लिए हम सबको स्त्री और पुरुषवादी मानसिकता से ऊपर उठकर संघर्ष करने की जरूरत है, जो कि हमारे पुरखों ने किया है, उसी से हमें प्रेरणा लेनी होगी। राष्ट्रपिता फूले, राष्ट्र निर्माता डॉ आंबेडकर, तथागत बुद्ध जैसे अनाम क्रांतिकारियों ने एक पुरुष होकर भी महिलाओं की सच्ची आजादी की लड़ाई लड़ी और यह संघर्ष जीवन भर जारी रखा। हमें भी सर्वोपरि मानवाधिकार और मानवता के लिए संघर्ष करने की जरूरत है, भले ही हम स्त्री हो या फिर पुरुष। इसी मंशा और मानसिकता के साथ फूले–अंबेडकरी विचारधारा के आचरण के साथ काम करने से भारत में क्रांति होगी। आज यही संकल्प हम सब महिलाओं को माता सावित्रीबाई फुले की जयंती लेनी है।

मूलनिवासी संघ ने बामसेफ के द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान बीएस फॉर को आदर्श कार्यक्रम के तौर पर अपनाया है और हम इसके माध्यम से देश भर में संविधान की चेतना को जन–जन तक लेकर जाने का काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब सामाजिक कार्यकर्ता, क्रांतिकारी महिलाएं इस अभियान से भी जुड़ कर एक संविधान प्रबोधक की भूमिका को निभा कर जन–जन तक संविधान को पहुंचाएगी। हमें भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने भाई–बहन की भांति समझ कर आगे बढ़ना होगा। इसलिए हर गांव, गली तक, संविधान की यह मनोभावना जन–जन तक पहुंचाने की जरूरत है। साथ ही एक मजबूत समाधान के लिए आपके अपने मन, इच्छा, जरूरत को समझने वाले आपके विचारों वाले प्रतिनिधियों को हर क्षेत्र की सत्ता तक पहुंचाना होगा। वही एक मजबूत समाधान हो सकता है।

इस मौके पर महिलाओं ने माता सावित्री बाई फुले जयंती पर एक सामूहिक संकल्प लिया कि हम सब माता सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख जैसी क्रांतिकारी महिलाओं से प्रेरणा लेकर भारत की व्यवस्था में एक बार फिर क्रांति का आगाज करेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम सफलता के साथ संपन्न हुआ।■

(पृष्ठ 1 का शेष)

डिग्री सर्विस में जाने की एक योग्यता..

डॉ. संजय इंगोले ने किया। अतिथियों का परिचय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मू. इंजी. आर.एस. राम ने दिया। उद्घाटन सत्र का संचालन डॉक्टर पी कोमला ने किया। कार्यक्रम के अंत में मूलनिवासी कलेंडर का विमोचन किया। इससे पूर्व संस्था का ध्वजारोहन किया गया। कार्यक्रम में देश के विभिन्न प्रदेशों के हजारों मूलनिवासियों ने प्रतिभाग किया। अधिवेशन में कुल आठ प्रबोधन सत्रों सहित दो प्रतिनिधि सत्रों एवं उद्घाटन एवं समापन सत्रों का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की प्रस्तावन करते हुए डॉ. संयज इंगोले ने कहा कि राष्ट्रीय अधिवेशन लोगों को इकट्ठा करके भेंट करने या सद्भावना व्यक्त करने का कार्यक्रम नहीं है। राष्ट्रीय अधिवेशन महामानवों के संदेश वर्तमान में कैसे प्रसांगिक बनाया जाए इसके ऊपर चिंतन-मनन करने का है। महापुरूषों के संदेश को यहां से जन-मानस तक पहुंचाने के लिए प्रण का अवसर है। अधिवेशन में हमारे समाज के ज्वलंत मुद्दों पर मंथन किया जाता है। आने वाले चार दिनों तक समाज के ज्वलंत मुद्दों पर हम मंथन करेंगे। साथ-साथ हमारे कार्यकर्ता दो विषयों के ऊपर समूह चर्चा के माध्यम से मंथन करेंगे। विशेषज्ञों, ऐसे लोग जिनका आंदोलन को आगे बढ़ाने में स्वतंत्र चिंतन है उनको 8 विषयों पर मार्गदर्शन हेतु हमने आमंत्रित किया है। आप अधिवेशन की कार्यक्रम पत्रिका में देखेंगे कि पहला प्रबोधन सत्र का विषय हमारे आंदोलन के विषय में है कि हमने बहुजन आंदोलन को कहां तक लाये। आंदोलन के कार्यक्रमों की क्रिया-प्रतिक्रिया समजा में क्या हो रही है। इस पर चिंतन करने के लिए हमने पहला प्रबोधन सत्र आयोजित किया है। दूसरे प्रबोधन सत्र में मूलनिवासी आर्थिक नीति पर चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं इस देश की आर्थिक नीति वैसे ही हो जैसे संविधान की उद्देशिका में है। संविधान के भाग 4 नीति निदेशक तत्व में जैसा वर्णित है वैसा ही समाजवादी संरचना हम चाहते हैं। इस देश में जैसे शिक्षा, स्वास्थ, रक्षा नीति है वैसे ही आर्थिक नीति की भी घोषणा शासन-प्रशासन के माध्यम से होनी चाहिए।

मुख्य अतिथि से संबोधित करते हुए कहा कि सबसे बड़े नालेज उत्पादन के केन्द्र विश्वविद्याल हैं। ज्यादातर भेदभाव प्रोफेशन (व्यावसायिक) विश्वविद्यालयों में है, चाहे वो मेडिकल, आईआईएम, आईआईएमसी, आईटाईटीस या एग्रीकल्चर हो। सारा असेस्मेंट इन्टर्नल फैकल्टी का होता है। इसके बाबजूद भी हमारे लोगों ने सफलता पाई है। हमें बाबा साहब एवं अन्य महापुरूषों के जीवन से सीख लेनी चाहिए। बाबा साहब ने 1919 में भेदभाव के खिलाफ प्रतिनिधित्व की बात रखी थी, इस मिशन में वे 1935 के गौरवर्नमेन्ट इंडिया एक्ट में सफल हुए। हमें 1935 में ही सेवा तथा राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व मिला था, वहीं से संविधान में डाला गया। 1946 में बाबा साहब ने 'स्टेट प्रोविन्स' किताब लिखी जिसमें उन्होंने संविधान की प्रस्तावना बना दिया था कि कैसे संविधान बनेगा, कैसे राज्य बनेंगे, कैसी शिक्षा होगी इत्यादि। सरकार पर दबाव बनाने के लिए उन्होने यह किताब 1946 में ही प्रकाशित कर दी थी। हम सभी को भी ऐसी रणनीति बनाकर काम करने की जरूरत है।

हम (प्रोफेसर, टीचर) विश्वविद्यालयों में डिग्री दे सकते हैं, स्नातक, परास्नातक, शोध करा सकते हैं लेकिन प्रज्ञा (Wisdom) नहीं दे सकते हैं। डिग्री से सर्विस सिस्टम में एक इलीजिबिलीटी (काबिलियत) बनती है लेकिन वास्तविक ज्ञान यानी प्रज्ञा है जो कि विश्वविद्यालयों में नहीं बल्कि समाज में ही मिलता है। जब समाज में समस्याएं आती हैं, थपेड़े पड़ते हैं तभी ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा ही ज्ञान तथागत बुद्ध को प्राप्त हुआ था। बाबा साहब का एक प्रसिद्ध कोटेशन है कि 'Cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence.' अर्थात 'दिमागी अभ्यास मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए।'

विशिष्ट अतिथि जस्टिस बिरेन्द्र सिंह ने कहा कि भारत के मूलनिवासियों पर जो अत्याचार होते आएं हैं अथवा उन्हें अधिकार वंचित रखा गया है, उसका कारण और निवारण क्या है इसका मंथन हम कर रहे हैं। मूलनिवासी बहुजनों की संख्या इस देश में 85 प्रतिशत और जिन्हे जनरल कहते हैं उनकी संख्या केवल 15 प्रतिशत है। यह आंकड़ा 1931 का है। 1931 के बाद आज तक जातिगत जनगणना नहीं हुई है। अब यह स्पष्ट हो रहा है उनलोगों की संख्या 10 प्रतिशत पर सिमट गई है। हम 85 प्रतिशत होते हुए भी संविधान के दायरे में आने वाले सभी अधिकार पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त कर पाये हैं। बहुजनों में थोड़ी बहुत जागृति एससी और एसटी में आई है लेकिन ओबीसी अभी भी पिछड़ा है तथा अपने पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास तक भी नहीं कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि पिछड़ी जातियों को जोड़ना मेढक तौलने के समान है। एक को जोड़िये तो दूसरा उछलकर दूर हो जाता है। हमें सोचना होगा कि हम क्यों पिछड़े हैं और क्या हम पिछड़ा ही रहना चाहते हैं। आईये हम मिलकर आगे बढ़ें और अपना पिछड़ापन दूर करें।

मेरिट में देखें तो पिछड़ी जातियों की मेरिट की योग्यता अगड़ी जातियों से ज्यादा साबित हो रही है। सवर्ण लोग आरक्षण पर मेरिट का सवाल उठाते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में आप देखेंगे कि पिछड़ी जातियों की अंको की कट ऑफ अगड़ों से ज्यादा है। अब यह सवाल खत्म हो गया है कि बैकवर्डों में मेरिट नहीं है। हममें बहुत से लोग जगरूक हुए हैं लेकिन ये जागरूकता उनती पर्याप्त नहीं है जितनी की हमारी जनसंख्या है। हमें अपने लोगों तक जाकर उन्हे जगाना होगा। इस वक्त जातिय जनगणना को लेकर पूरे देश में सभी संगठन आवाज उठा रहे हैं। जतिगत जनगणना आवश्यक है तथा इस पर एक आंदोलन की आवश्यकता है। जब तक हमें जाति की संख्या का पता नहीं चलेगा तब तक देश के संसाधानों में हमारा कितना हिस्सा यह नहीं जान पायेंगे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष मू. नितिन गनोरकर ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि जहां पर हम अधिवेशन कर रहे हैं यह स्थान तथा इस पर निर्माण हुए संस्थान हमारे कार्यकर्ताओं के पसीने की कमाई से खरीदी गई है। इस संस्थान में हम कार्यकताओं को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित करना चाहते हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। बामसेफ के उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन के बारे में हम सभी जानते हैं। इस देश से आर्य-ब्राह्मणों की गैरबराबरी की व्यवस्था को खत्म करके मूलनिवासियों की बराबरी की व्यवस्था को स्थापित करने का बीड़ा बामसेफ ने उठाया है। जिसके खिलाफ हम यह लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी ताकत को भी हमें परखना और समझना होगा। अगर हम दुश्मन को परास्त करना चाहते हैं तो हमें कितनी बड़ी ताकत की जरूरत है, इस दिशा में हमें सोचना और कार्यक्रम बनाना होगा। हमने इस देश के मूलनिवासियों (एससी, एसटी, ओबीसी और माईनोरिटी) को इकट्ठा करने का प्रण लिया है। उस दिश में हम बामसेफ की स्थापना काल से आज तक काम कर रहे हैं।

दुश्मन का सत्तासीन होना तथा संसाधनों का उनके पास केन्द्रीकृत होने के कारण आज हमारे समाज के सामने बहुत सारी समस्यायें हैं। जिन समस्याओं को लेकर हम लोगों को प्रबोधित और आंदोलित करना चाहते हैं, उनपर कई विषय हैं लेकिन उनमें से कुछ विषयों पर ही हम अधिवेशन में चर्चा कर पाते हैं और आंदोलन का हिस्सा बना पाते हैं। चार दिनों में समाज से संबंधित सारे विषयों पर चर्चा-परिचर्चा, मंथन करना संभव नहीं है।

हम देख रहे हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। सत्ताधीस कह रहे हैं कि कॉलेजिय गलत सिस्टम है, इसको बदलना चाहिए और न्यायपालिका एक दिन में ही रिटायर्ड अधिकारी को कार्यपालिका के द्वारा चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने को गलत बता रही है। चर्चा दोनों तरफ से है कि ये गलत हो रहा है। दोनों को एक दूसरे को नियंत्रित करने की शक्ति है लेकिन उसका इस्तेमाल न तो कार्यपालिका, न्यायपालिका के लिए और न ही न्यायपालिका, कार्यपालिका के लिए कर रही है। कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यबाई को खारिज करने का अधिकार रखती है। मगर खारिज करने की कार्यवाई नहीं होती, चर्चा जरूर करते हैं। कार्यपालिका के पावर न्यापालिका ने अपने हाथ में ले लिए। इस संदर्भ में कार्यपालिका, न्यायपालिका के निर्णय को बदलने की क्षमता रखती है लेकिन इस संदर्भ में कार्यपालिका कुछ करने की पहल नहीं करती केवल चर्चा होती है। इस नाटक को हमारे मूलनिवासी बहुजन समाज को समझने की जरूरत है। इस दिशा में निश्चित रूप से दबाव बनाने की जरूरत है।■

(पृष्ठ 5 का शेष...)

आखिर कब तक हमारे समाज पर दर्दनाक असहनीय उत्पीड़न होते रहेंगे

को लेकर लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से मूलनिवासी बहुजन समाज को एक मंच पर लाने के प्रयास में है परंतु कुछ समाज के ही बुद्धिजीवी वर्ग के लोग स्वयं को हाईलाइट करने के चक्कर में बामसेफ का विरोध करते नजर आते हैं। संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि आपका गौरव एक भारतीय होने में है जातिवादी होने में कदापि नहीं है। एक अज्ञानता पूर्ण खबर जो 4 नवंबर 2022 के अमर उजाला हिंदी में छपी न्यूज़ पढ़कर हंसी आती है कि जनेऊ पहनने से लकवा का खतरा कम। इस प्रकार की रिपोर्ट या खबरें पढ़कर सुनकर आज भारत की विद्वत्ता पर तरस आता है। भारत में झूठ फरेब का बोलबाला बढ़ रहा है और लोगों की कथनी–करनी के अंतर में बढ़ोतरी दिन–प्रतिदिन होती जा रही है। भयंकर दर्दनाक घटनाएं हर पल घट रही हैं। विश्व पटल पर भी यूएनओ (संयुक्त राष्ट्र संघ) शून्य सा हो गया है या यूं कहें कि निष्क्रिय हो गया है या क्या वह भी ब्राह्मणवादी मनुवादी असमानतावादी हो गया है? या ऐसे लोगों के चंगुल में फंस गया है? या ऐसे लोगों से घिरा हुआ है? आखिर कब तक हमारे समाज पर दर्दनाक असहनीय उत्पीड़न होते रहेंगे और हम सब हाथ पर हाथ रख कर चुपचाप कब तक देखते रहेंगे और बैठे रहेंगे। हम कब तक डिफेंसिव मोड में रहेंगे आखिरकार हमें अट्रैक्टिव मोड में आना ही पड़ेगा अन्यथा हम खबरें पढ़कर दुखी होते रहेंगे और आंसू बहाते रहेंगे। मूलनिवासी बहुजन SC-ST-OBC समाज के समस्त साथियों से लोकतांत्रिक संगठन बामसेफ एवं फुले–अंबेडकरी आंदोलन की अपील है कि मूलनिवासी पहचान के आधार पर संगठित होकर व्यवस्था परिवर्तन लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, फुले–अंबेडकरी विचारधारा के साथ और विचारधारा पर राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 42 वर्षों से लगातार कार्य कर रहे लोकतांत्रिक संगठन बामसेफ एवं इसके आफसूट विंग मूलनिवासी संघ, मूलनिवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ, मूलनिवासी सभ्यता संघ आदि संगठनों के माध्यम से आंदोलन से जुड़कर और BS-4 = भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा में संवर्धन महाजनजागरण अभियान के तत्वाधान में – बी एस फोर डोर टू डोर चलो गांव की ओर।

बी एस फोर डोर टू डोर, मिशन ट्वेंटी फोर।।

संवैधानिक तरीके से समाज के जनजागरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकते हैं। महापुरुषों के संघर्षों का फायदा लेते हुए संविधान के बदौलत हमने यदि थोड़ा सा भी लाभ लिया है और इसके बावजूद हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं तो समाज के साथ हो रहे अन्याय के लिए सबसे बड़े दोषी हम ही हैं।■

मूलनिवासी विद्यार्थी संघ के तत्वावधान में क्रांति पर्व का आयोजन

मूनिटा संवाददाता, रीवाः मूलनिवासी विद्यार्थी संघ जिला इकाई रीवा के तत्वावधान में क्रान्ति पर्व बड़े हर्ष के साथ मनाया गया। सर्व प्रथम महामानवों के अभिवादन में सरदार पटेल तिराहा से कलेक्ट्रेट परिसर तक मानवंदन यात्रा निकाली गई। फिर महामानवों के कृत्यों जैसे 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव विजय दिवस, 1 जनवरी 1848 राष्ट्रमाता सावित्री बाई फुले द्वारा बालिकाओं के लिए पहली पाठशाला खोला जाना, 1 जनवरी 1862 भारतीय दण्ड संहिता लागू हुई, 1 जनवरी 1979 पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ को याद कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए वंदन यात्रा में शामिल पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए।

कार्यक्रम में मूलनिवासी विद्यार्थी संघ के जिला अध्यक्ष मू. रविराज बंसल, उपाध्यक्ष मू. बाबादीन प्रजापति, एड. मू.आर एस वर्मा, मू. चिंतामणि, मू. श्रवण जी, मू. जोखूलाल, मू. विकेश प्रजापति, मू. सकोचिल बंसल, मू. लवकुश पटेल, मू. यज्ञनिवास यादव, मू. महिपाल सिंह, मू. इंद्रमणि जी, मू. कमलेश कबीर, मू. उमेश पटेल जी तथा MVS के राष्ट्रीय अध्यक्ष रजनीश प्रजापति विशेष रूप से उपस्थित रहे। ■

मूलनिवासी विद्यार्थी संघ के द्वारा 'पीपल्स फॉर कॉन्स्टीट्यूशन' एवं विद्यार्थी कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम हुआ आयोजित

मूनिटा संवाददाता, बालाघाटः बालाघाट, मध्य प्रदेश में दिनांक 31 दिसंबर 2022 को महात्मा फुले भवन, वारासिवनी में मूलनिवासी विद्यार्थी संघ के तत्वावधान में BS-4 अभियान के तहत ''पीपल्स फॉर कांस्टिट्यूशन'' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य मार्गदर्शक के तौर पर एमवीएस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष इंजी. ललित कुमार व बामसेफ की वरिष्ठ कार्यकर्ता मू. अरुणा तिरपुड़े, मू. एस. डी. तिरपुडे, मूलनिवासी संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मू. बी. एल. पंचे तथा मू. सरस्वती पंचेश्वर आदि उपस्थित रहे।

इस मौके पर उपस्थित विद्यार्थी, युवा, महिला, किसान, मजदूर, कर्मचारी एवं आमजन को संवैधानिक जानकारियों से रूबरू कराया गया। साथ ही इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर इंजी. ललित कुमार ने मार्गदर्शन किया। विद्यार्थियों और अन्य उपस्थितगणों को बामसेफ व उसके सभी विंग के सदस्यता ग्रहण कराई गई व विभिन्न पदों व जिम्मेदारियों के लिए नियुक्त भी किया गया। इस क्रम में मूलनिवासी विद्यार्थी संघ के लिए विभिन्न कॉलेज व यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थानों के लिए संयोजक भी नियुक्त किए गए, जिसमें मुख्य तौर पर नवनियुक्त मू. विभा पंचेश्वर, मू. कामना पंचेश्वर, मू. सोनाली तामेश्वर, मू. रानू कावरे, मू. मयंक जामरे, मू. पंकज कामेश्वर व मू. रूपतेज जामरे को संयोजक के तौर पर जिम्मेदारी दी गई। इस मौके पर नवनियुक्त संयोजकों ने विद्यार्थियों को संगठन की सदस्यता ग्रहण कराई गई। तथा अपनी बात रखते हुए उपस्थित अभिभावक और विद्यार्थियों से बढ़–चढ़कर संगठन की सदस्यता के लिए भी अपील की।

दिनांक 30 दिसंबर 2022 को बालाघाट में स्थित राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले हॉस्टल में एमवीएस के द्वारा 'मूलनिवासी विद्यार्थी कैरियर काउंसलिंग' का आयोजन किया गया। मार्गदर्शक के तौर पर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष इंजी. ललित कुमार ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया।

और विद्यार्थियों को MVS की सदस्यता ग्रहण करते हुए बालाघाट जिले का माननीय सुरेंद्र जी को जिला संयोजक नियुक्त किया।

उन्होंने विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए विद्यार्थियों से संगठन से जुड़कर अपनी समस्याओं का हल स्वयं करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया और अपनी समस्याओं को संगठन के संज्ञान में लाने और समाधान के लिए संगठन द्वारा चलाए गए ऑनलाइन और ऑफलाइन 'एम. स्टूडेंट हेल्प सेंटर' में संपर्क कर, बताने का भी निवेदन किया।

इस मौके पर कई कॉलेज और विद्यालयों के विद्यार्थियों ने कैरियर काउंसलिंग में सहभाग किया। इस मौके पर मूलनिवासी संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मू. बी.एल. पंचे व बामसेफ की वरिष्ट कार्यकर्ता मू. अरुणा तिरपुड़े भी मौजुद रहीं। कार्यक्रम में अभिभावक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी रुचिकर सहभाग और सहयोग किया। ■

बीएस–4 कार्यक्रम की झलकियां

If undelivered please return to
मूलनिवासी टाईम्स
527–ए, नेहरू कुटिया, कबीर बस्ती, मल्कागंज,
दिल्ली–110007, दूरभाष : 011–23854369

RNI No. DELHIN/2003/11385
Postal Regd. No. DL(N)/310/2022-24
Date of Publication : 16 January 2023
Date of Postinig : 17 January 2023

जय भीम!

"मेरी शान, भारत का संविधान"

जय मूलनिवासी!!

मूलनिवासी संघ

राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले

Regn. No. S- 52349

डॉ.बी.आर.अम्बेडकर

केन्द्रीय कार्यालयः 527–ए, नेहरू कुटिया, कबीर बस्ती, मल्कागंज, दिल्ली–110007, दूरभाष : 011–23854369

मूलनिवासी लोकतांत्रिक व्यवस्था का
उलगुलान

राष्ट्रीय महाधिवेशन 2023

3, 4 व 5 फरवरी 2023
(शुक्रवार से रविवार)

स्थानः आर. एस. रिसॉर्ट, बदखर बाईपास, सतना (मध्य प्रदेश)

ध्वजारोहण एवं प्रतिज्ञापन

प्रातः 10:00 बजे से 10:30 बजे तक

संविधान चेतना रैली एवं ज्ञापन

प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

भोजन अवकाश– दोपहर 2:00 बजे से 3:30 बजे तक

मूलनिवासी उद्घोष सत्र

दोपहर 3:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक

मुख्य अतिथिः मू. नीरज भाई पटेल, सम्पादक, नेशनल जनमत
विशिष्ट अतिथिः मू. कुशवाहा राकेश महतो, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा
: मू. हेमराज सिंह पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)
प्रस्तावनाः मू. के. नागराजू, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मूलनिवासी संघ
संचालनः मू. हनीफ़ हांसलोद, राष्ट्रीय महासचिव, मूलनिवासी संघ
अध्यक्षताः मू. नयनाला कृष्णा राव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मूलनिवासी संघ

अपील

प्रिय मूलनिवासी बहुजन साथियों,

आज भारत मे विध्वंसकारी ब्राह्मणवादी ताकतें, आत्मनिर्भर भारत व राष्ट्रनिर्माण के नाम पर देश और देश के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को पुरी तरह से विखंडित करने में तुली हुई है। जोकि देश को जातिवादी, गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी, बलात्कारी, निजीकरण एवं पूजीवादियों के अधीन करने का षड़यंत्र निरन्तर कर रही है। यह मूलनिवासी समाज अर्थात अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व इनसे धर्मपरिवर्तित समाज के लिए बहुत ही पीड़ादायी और विनाशकारी समय है। ऐसे समय में मूलनिवासी समाज की अपने अस्तित्व तथा अधिकारों के प्रति सजगता व संवैधानिक जन–आन्दोलन में भूमिका की प्राथमिकता बढ़ जाती है। मूलनिवासी महापुरूखों की नसीहत के अनुसार देश और मूलनिवासी समाज का अस्तित्व, फूले–अम्बेडकरी विचारधारा पर आधारित लोकतांत्रिक राष्ट्रव्यापी संगठन से ही मुमकीन है। अतः इस विध्वंसकारी दौर में फूले–शाहू–अम्बेडकरी विचारधारा पर आधारित एक मात्र लोकतांत्रिक राष्ट्रव्यापी संगठन मूलनिवासी संघ, महापुरूखों के सामाजिक क्रांति के आंदोलन के माध्यम से लगातार चुनौतिया दे रहा है। इसी

इसी दृढ़संकल्प के साथ

जय भीम! जय मूलनिवासी!! जय संविधान!!! जय लोकतंत्र!! जय भारत!

फूले–अम्बेडकरी मिशन में आपके साथी,

नयनाला कृष्णाराव
राष्ट्रीय अध्यक्ष

हनीफ़ हांसलोद
राष्ट्रीय महासचिव

मूलनिवासी टाईम्स के इस अंक में प्रकाशित लेखकों के विचारों से सम्पादक सहमत हैं ही, ऐसा नहीं है।
मुद्रक एवं प्रकाशक दीपक मधुकर वैद्य द्वारा मालिक बामसेफ संगठन के लिए वैदिक मुद्रणालय, 3957, गली अहिरान, पहाड़ी धीरज, दिल्ली–110006 यहां मुद्रित कर, कार्यालय : 527–ए, नेहरू कुटिया, कबीर बस्ती, मल्कागंज, दिल्ली–110007 से प्रकाशित किया। – संपादक : मनोज कुमार